समुदाय व संरक्षण

समुदाय आधारित जैवविविधता संरक्षण तथा आजीविका सुरक्षा

KALPAVRIKSH
कल्पवृक्ष
Environmental Action Group

अंक ४, नं. २ जून २०१२

विषय सूची

– संपादकीय

– विचार – हमेशा की तरह यथा स्थिति

१. समाचार एवं विश्लेषण

- महुआरों के वनाधिकार की मांग
- पश्चिमी घाट परिस्थितिकीय विशेषज्ञ पैनल (डब्लू जी ई ई पी) रिपोर्ट: मधुमक्खी के छत्तें को हिलाया!
- एन.बी.ए द्वारा खबर की पुष्टि कि मोनसेन्टो / माहियको एवं अन्य के विरुद्ध बी.टी.बैगन जैवचोरी प्रकरण में आपराधिक मुकदमा चलाया जायेगा।
- ई.आई.ए, वेदांता की कहानी जारी – इतिहास अपने आप को दोहराता हैं पहले त्रास्दी बाद में मजाक के रुप में!
- जैवविविधता संरक्षण को लेकर पर्यावरण मंत्रालय कितना गंभीर?
- पूर्वोत्तर भारत के शिकारी आदिवासियों को समुदायिक वन संरक्षण के लिये प्रोत्साहन देने के लिये वन्यजीव अधिकारियों का निर्णय।
- संकटग्रस्त बाघों के आवासों के लिये बफर क्षेत्र
- एक रिपोर्ट के अनुसार आधी दिल्ली के बराबर वनों का विनाश हुआ।

२. सीबीडी एवं कॉप–११

- सीबीडी कॉप–११ की तैयारी
- नगोया प्रोटोकौल: गैर जिम्मेदार पहुंच?
- सीबीडी संगठन एवं कॉप–११
- कानूनी बाघ्यता या नहीं?
- चौथी राष्ट्रीय रिपोर्ट – हकीकत बनाम दिखावा!

३. कार्यशाला एवं सम्मेलन

- समुद्री एवं समुद्र तटीय जैवविविधता एवं आजीविकाओं पर बैठक
- आजीविका की चुनौती के रुप में समुद्रीय संरक्षित क्षेत्र (एम. पी.ए.)
- मोटे अनाजों पर सम्मेलन एवं महत्त्वपूर्ण घोषणा

४. विषय अध्ययन

- गोगेलो घेराव क्षेत्र: एक संरक्षित क्षेत्र जिसके कई पहलू
- बिलिगिरी रंगास्वामी मंदिर अभयारण्य में समुदायिक वनाधिकारों की स्थिति

संपादकीय–

भारत अक्टूबर २०१२ में जैवविविधता संधि के भागीदार देशों का सम्मेलन आयोजित करेगा।

जैवविविधता पर संधि[१] एक आंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसके तीन मुख्य लक्ष्य – जैवविविधता का संरक्षण, उसके घटकों का दीर्घकालिक (टिकाऊ) उपयोग एवं अनुवंशिक संसाधनों से मिलने वाले लोगों का उचित एवं बराबर की भागीदारी हैं।

रियो डि जिनेरियो में ५ जून १९९२ को जैवविविधता संधि पर हस्ताक्षर के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ के सतत विकास के सम्मेलन (यूएनसीएसडी), जिसे Earth Summit के नाम से भी जाना जाता है, मे ये रखा गया। इस संधि को २९ दिसंबर १९९३ को लागू किया गया। इस संधि का उद्देश्य जैविक विविधता का संरक्षण एवं सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय नीतियों एवं कार्ययोजना को तैयार करना है। इस संधि को सतत (टिकाऊ) विकास के संदर्भ में महत्वपूर्ण दस्तावेज के रुप में देखा जाता है।

पहलीबार यह स्वीकार किया गया कि जैवविविधता का संरक्षण मानवता से जुड़ा सामूहिक चिंता का विषय है तथा विकास की प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा है। इस संधि के तहत किए गए समझौते के अंतर्गत सभी पारिस्थितिकी तंत्र, प्रजातियां एवं जैविक संसाधन आते हैं यह पारंपरिक संरक्षण के प्रयासों को जैविक संसाधनों के टिकाऊ उपयोग के अर्थिक लक्ष्यों को आपस में जोड़ता हैं। यह व्यवसायिक उपयोग से जुड़े जैविक संसाधनों से मिलने वाले लाभों के उचित एवं बराबर की भागीदारी को सुनिश्चित करता है। यह संधि जैव सुरक्षा से जुड़े 'Cartegna Protocol' के द्वारा तेजी से बढ़ रहे जैवतकनीक को भी शामिल करती है। यह संधि कानूनी रुप से बाध्य है। जो देश इस संधि में शामिल है यह उसकी जिम्मेदारी है कि वो इस संधि से जुड़े प्रावधानों को लागू करे। यह संधि इस बात को मुख्य रुप से योजनाकारों एवं नीति निर्माताओं को ये याद दिलाती है कि प्राकृतिक संसाधन सीमित है और सतत उपयोग की आवधारणा को निर्धारित करती है। वर्तमान में सीबीडी पर विश्व के १९३ देशों (जिन्हें भागीदार देश भी माना जाता है) ने हस्ताक्षर किये है और पूरे विश्व के जैवविविधता में हो रही गिरावट को रोकने की प्रतिबद्धता जताई है।

Earth Summit बिना किसी संदेह के एक ऐतिहासिक महत्त्व की घटना थी। यह विशिष्ट प्रकाशन कॉप–११ में विचार किए जाने वाली चुनौतियों व चिंताओं तथा इनके समाधान की पहल की परीक्षण के लिए समर्पित है। भारत में सीबीडी के उद्देश्यों के प्रति गंभीरता को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ किए गए विकास की परियोजनाओं के करारों की गति एवं तत्परता के रुप में मापा जा सकता है।

कई अध्ययनों से सामने आया है कि विकास परियोजनाओं को लेकर ऐसे गठबंधन का भारतीय प्राकृतिक व्यवस्थाओं पर एवं उससे जुड़ी विकसित जैवविविधता एवं प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर लोगों पर विपरीत प्रभाव पड़े हैं। जन सुनवाई, पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन एवं अन्य निर्धारित प्रक्रियाओं के क्रियान्वयन में खामियां हैं या इनका पूरी तरह से क्रियान्वयन न होने के बावजूद परियोजनाओं को स्वीकृत किया जा रहा हैं। वेदांता समूह ऐसा ही एक उदाहरण है जिसके बारे में आप इस समाचार पत्र में पढ़ेगे।

इतिहास अपने आप को दोहराता है, हमे इस कहावत की याद वेदांता दिलाता है। पहले एक त्रास्दी के रुप मे फिर एक मजाक के रुप में। यह वो प्रोजेक्ट था जिसे कानूनी प्रावधानों के तहत कांग्रेस के महासचिव के हस्तक्षेपों से रोक दिया गया था। बाद में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा, ग्लोबल एक्सपर्ट (ईआईए), सलाहकार को वेदांता एल्युमीनियम लिमिटेड के एल्युमीनियम रिफाइनरी के विस्तार के लिए दिशा–निर्देश (टीओआर) जारी किया गया। यदि इसे स्वीकृति मिल सकती है तो हम ऐसी स्थिति में क्या आशा करें जहाँ कही उच्चास्तरीय हस्तक्षेप नहीं है।

सौभाग्य से इसको लेकर हल्ला होने से पर्यावरण एवं वनमंत्री श्रीमति जयंती नटराजन ने यह निर्देश दिया कि उनके मंत्रालय द्वारा दिया गया प्रारंभिक स्वीकृति को स्थगित किया जाता है। जिसके परिणाम स्वरुप प्रोजेक्ट पर रोक लगी। ओडिसा सरकार द्वारा स्थानीय समुदायों के विरोध के बावजूद खनन एवं अन्य परियोजनाओं के ६० समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए है। इससे राज्य की जैवविविधता पर खतरा मंडराएगा। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से मिलने वाले समाचार बताते है कि इस क्षेत्र में १६८ से अधिक बड़े बांधों के निर्माण की योजना चल रही है जो कि ईआईए के अपर्याप्तता से जुड़ी गंभीर चिंताओं को उजागर करते हैं। ये चिंताएं मूलरुप से पारिस्थितिकी तंत्र एवं इसपर निर्भर लोगों की जीविकाओं पर पड़ने वाली अपरिवर्तनीय प्रभावों के साथ क्षेत्र की संपन्न सांस्कृतिक घरोहर से जुड़ी है। भारतीय तटीय सीमा क्षेत्र में ३०० बन्दरगाहों (पोर्ट) के निर्माण की योजना चल रही है। ऐसी योजना है कि लगभग हर २५ किमी. की दूरी पर एक बन्दरगाह हो। विकास के नाम पर पर्यावरण मंत्रालय द्वारा अनुपयुक्त ई.आई.ए. को मंजूरी दी जा रही है। जिसके चलते बडे पैमाने पर वनों की कटाई का काम, क्षरण, जैवविविधता की हानि एवं स्थानीय समुदायों को उनके स्थान से बेदखल कर हटाया जा रहा है।

यदि सरकार सीबीडी समझौतों से जुड़े उद्देश्यों के प्रति गंभीर है एवं राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना पर भरोसा किया जाय तो ऐसा क्यों है कि पर्यावरण मंत्रालय को पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी कार्य विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट के सारांश को जारी करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश की जरुरत पड़ी। इसे छुपाने का प्रयास क्यों किया गया?

पर्यावरण संरक्षण एवं आर्थिक विकास को लेकर जानूस–फेस्ड[२], सरकार का दोहरा रवैया स्पष्ट रुप से हाल की दो स्थितियों में आया है। पहला कंपनियों द्वारा स्थापित किए जाने वाले नयी परियोजनाओं[३] के लिए हरित स्वीकृति से जुड़ी दिशानिर्देशों का प्रारुप एवं दूसरा केंद्रीय पर्यावरण मंत्री का स्पष्ट रुप से यह बयान कि पर्यावरण मंत्रालय विकास की परियोजनाओं[४] को नहीं रोक रहा है। क्या मंत्रालय के पास अपना संबंधित अधिकार–क्षेत्र है या फिर यह आर्थिक योजना आयोग के अनुरुप पहल है जैसा कि मंत्रालय की भूमिका इशारा करती है।

जैसा कि आप लोग पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण के अध्यक्ष बालकृष्णन पिशुपति हमसे ज्यादा आशावान एवं कम निराशावादी है। केवल समयही बतलायेगा कि अक्टूबर–२०११ में होने वाला कॉप आयोजन किस हदतक उनको सही साबित करता है।

---

१ देखे : http://www.cbd.int/

२ ऐतिहासिक रोमन घर्म एवं पौराणिक कहानियों में जेनस दो चेहरे वाला भगवान

३ पर्यावरण मंत्रालय का प्रस्ताव क्या है, सहत एवं लचीला, इडियन एक्सप्रेंस, ५ जून

४ देखे : जयंती : एमओईएफ के कारण कोई परियोजना नही रुकी, इंडियन एक्सप्रेस, ६ जून

विचार – हमेशा की तरह यथा स्थिति

मिलिंद वाणी तथा पर्सिस तारापोरवाला

निकट भविष्य में सीबीडी करार के तहत् आयोजित होनेवाले कॉप–११ आयोजन के परिप्रेक्ष्य में यह परखना रुचिकर होगा कि विश्व एवं खासकर भारत पृथ्वी सम्मेलन के निर्धारित संकल्प एवं लक्ष्यों के कितने करीब है।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य को समझने के लिए एक पहलू जैवविविधता करार के कार्यकारी सचिव ब्राउलियो फेर्रेरिया डिसूज़ा डायस का स्कैवर ब्रैकेट[५] मे हाल ही में प्रकाशित साक्षात्कार को बारीकी से परखना तो संभव है। कार्यकारी सचिव से साक्षात्कार कर्ता द्वारा पूछें गए प्रश्नों के उत्तर की विवेचना इस लेख मे की गयी है।

सचिव ने साक्षात्कार मे सबसे पहले ''करार के तहत् आगे बढने के लिये तीन प्राथमिकताओं'' क्रियान्वयन, क्रियान्वय, क्रियान्वयन को गिनाया। इसके पश्चात उन्होने करार को प्रभावी ढ़ंग से क्रियान्वयन के लिये विचार–विमर्श पर जोर दिया । किसी को इसपर आश्चर्य हो सकता है कि इसके लिये थोडी देरी हो चुकी है। फिर भी उनके द्वारा प्रमुख ध्यान देने वाले विषयों की सूची में, करार में शामिल देशों के कार्यो को सरल बनाना एवं कार्यक्रम एवं मुद्दों को आपस में जोडा जाए एवं उन पर साथ–साथ काम हो, शामिल है। विकास के एजेंडे में जैवविविधता को मुख्य धारा में लाया जाए, जैवैविविधता से जुड़े मुद्दों से बडे स्तर पर समाज एवं सरकारी विभागों/ मंत्रालयों से जोडना, संसाधनों की व्यवस्था, आइची[६] के लक्ष्यों का सतत परिक्षण, भागीदारों को मिलने वाले सहयोग में बढोत्तरी, प्रभावी बनाने की दिशा में वैज्ञानिकी एवं तकनीकी सहयोग का विकास, समुदाय आधारित प्रयासों को पहचान एवं सहयोग देना, व्यापारिक क्षेत्रों के साथ अनुबंध को बढाना एवं नगोया प्रोटोकौल का प्रचार–प्रसार करना ताकि जल्द स्वीकार किया जाये, सूची के विषय थे।

उपरोक्त तथ्यों से साफ है कि करार के २० वर्ष बाद भी इतना कुछ करना बाकी है तो यह मनाना वास्तविकता नहीं होगी कि विश्व ने क्रियान्वयन की दिशा में बहुत विकास कर लिया है। सचिव महोदय ने स्वयं स्वीकारते हुए कहा है – ''निश्चित तौर पर हमने २०१० के लिए जैवविविधता के लक्ष्यों को नहीं प्राप्त किया है।'' उन्होंने आइची के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शर्तों एवं प्रक्रियाओं को लागू करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा है कि इस पर कोई असहमति नहीं हो सकती। निश्चित तौर पर विकासशील देशों की क्षमताओं के विकास के लिए सहयोग लेना एक अच्छा विचार है। यह बहुत ही अच्छा है कि सीबीडी ने नये प्रयासों को स्थापित किया है जैसे शहरों एवं जैवविविधता का प्रयास एवं व्यवसायिक प्रयास। परंतु यह पूछा जा सकता है कि चुंकि सचिव के पास निर्णय एवं उसे अमल में लाने की शक्तियां बहुत सीमित है तो इस बात की क्या गारंटी है कि शुरु किए गए प्रयासों में रुकावट नहीं आएगी। जबकि सचिव सरकारों एवं व्यवसाय द्वारा जैवविविधता के साथ बंधन के तरीकों में ढाचागत् परिवर्तन की बात करते हैं एवं टिकाऊ उत्पादों के बढ़ावे की ओर इशारा करते हैं ताकि बाजारों की जैवविविधता के प्रति जिम्मेदारी स्थापित की जा सके। इसे कैसे लागू किया जाएगा? क्या बाजार सुनेगा? क्या सरकारें व्यवसायिक प्रतीष्ठानों के लालच को पूरा करने का काम छोड़ देगी? नई व्यवस्थायें जैसे जैवविविधता पर विज्ञान तथा नीति के बीच परस्पर सबंध एवं पारिस्थितिकीय सेवा आदि विषय जिसके बारे में सचिव ने बताया है उनका कोई वास्तविक प्रभाव पड़ेगा या नहीं यह केवल समय बताएगा। परन्तु इसमें एक बाधा है कि क्या विश्व के पास समय है?

एक अन्य बिंदु है जिसपर जनसमूह से कई लोग आरोप लगाते हैं कि संधि के कानूनी रुप से बाध्य स्वरुप पर ध्यान की कमी है जबकि तथ्य यह है कि भागीदारों का यह दायित्व है कि वह इसे सुनिश्चित करे। जबकि सचिव सदस्य देशों के क्षमताओं के निर्माण एवं इसमें वैश्विक समुदाय द्वारा निभाए जाने वाली भूमिका और इस भूमिका की आवश्यकता की बात करते हैं तो उनके आशावादी रुख पर आश्चर्य होता है कि उनका यह कहना तर्क संगत नहीं है कि हमारे पास समय है (जब कहते हैं कि ''मुख्य रुप से हमारे पास २०२० तक की एक अच्छी समय सीमा हैं।'') यदि तथ्यों को ध्यान में रखा जाय तो पिछले २० वर्ष में बहुत ज्यादा विकास नहीं हुआ है (जैसा कि जैवविविधता के २०१० के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका है)। वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी (ग्लोबल वॉर्मिंग) एवं इसके परिणाम जैसे जलवायु परिवर्तन, रेगिस्तानों का विकास, जैवविविधता की क्षति, पीक तेल, समुद्री तल मेंबृद्धि आदि अब भविष्य की चिंताएं न होकर आज की चिंताएं तथा विश्व के एजेंडे में है।

यदि हम अपने रहन–सहन में अमूलचूल परिवर्तन नहीं करते हैं तो जिस तरह से हम पृथ्वी से जुड़े है तथा जिस तरह अपने सामाजिक, सांस्कृतिक एवं औद्योगिक जीवन को पुन:व्यवस्थित कर रहे हैं, जिससे हमारे पारिस्थितिकी को नुकसान हुआ है तो वह हमारे लिए एक अभिशाप है। परन्तु इस प्रकार की तत्काल आवश्यकता सचिव के उत्तर में नहीं दिखती है।

कई पर्यावरणीय विचारकों द्वारा ऐतिहासिक मायने में यह तर्क दिया गया कि मानवता एवं कई प्रजातियों पर विलुप्त होने का खतरा हैं और यह परेशान करने वाली बात है कि सीबीडी के सचिव उप्लब्धि से जुड़े प्रश्नों से, तथा उल्लंघन या बिखराव से जुड़े, सवाल पर साफ तौर पर यह नहीं बताते कि क्या कदम उठाए गए हैं? क्या दंड है?

---

५ देखे : कुछनिर्णय, ज्यादा क्रियान्वयन, स्त्रोत www.cbd.int/ngo/square-brack.ets/square-brackets-2012-05en.pdf.

६ नगोया जैवविविधता सम्मेलन (जापान, अक्टूबर,२०१०) की समाप्ति जैवविविधता पर सम्मेलन से जुड़े नितियों के सामरिक महत्व की योजना (अइची लक्ष्य) को अपनाने पर सहमति के साथ हुई थी। योजना में २० प्रमुख लक्ष्यों को शामिल किया गया जिसमें जैवविविधता की हानि से जुड़े पांच आधारभूत कारणो को बताया गया है, जैवविविधता पर पडने वाले भार में कमी, सभी स्तरों पर जैवविविधता की सुरक्षा, जैवविविधता द्वारा दिये जाने वाले लाभों में बृद्धी एवं क्षमता निर्माण शामिल है। विस्तृत जानकारी के लिये देखे : http://www.cbd.int/sp/targets/

भागीदारो को कैसे जवाबदेह बनाया जाएगा? दोषी व्यापारिक प्रतीष्ठानों के खिलाफ कैसा प्रतिबंध लगाया जाएगा? तथा विवाद निपटाने के लिए क्यों उचित व्यवस्था को तैयार नहीं किया गया? साफ तौर पर यह पता चलता है कि सचिव सीबीडी को संधि का उल्लंघन करने पर दंड (Penality) देने के यंत्र के रुप में नहीं देखते हैं। बल्कि वह कठिन लंबे रास्ते ''प्रकृति से जुड़ाव के लिए सांस्कृतिक परिवर्तन'' की पहल करते हैं। ये महत्त्वपूर्ण सवाल है जिसके लिए आवश्यक एवं कठोर उत्तर की आवश्यकता है यदि हम आइची–२०२० के लक्ष्यों की हालत जैवविविधता–२०१० के लक्ष्यों की तरह नहीं देखना चाहते हैं।

कई अशासकीय संगठनों, स्थानीय समुदायों एवं स्थानीय लोगों के एक अन्य चिंता का विषय भागीदारों का व्यवसायिक संगठनों के साथ जुड़ने से होने वाले जोखिम से जुड़ा है। यह जोखिम सीबीडी के पर्यावरण पहलू की क्षमताओं को कम करेगा। यह चिंता व्यवसायिक क्षेत्र के पर्यावरण पर पडने वाले बुरे प्रभावों एवं जुड़े प्रशासन, बराबर की हिस्सेदारी, सामाजिक न्याय, कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों की आजीविका एवं संस्कृति, मछुआरों एवं मूल निवासियों के मुद्दों से जुड़ी है। इसके बावजूद सचिव को आशा है कि संभवत: व्यवसायिक क्षेत्र भले के लिए बदल रहा हैं। अत: इनके साथ जुड़ना अच्छे व्यवसायिक व्यवहार के परिणाम के रुप में सामने आएगा और अच्छे व्यवसायिक व्यवहार को शामिल करने से जैवविविधता संरक्षको के अधिकारों को सम्मान देना सीखेगा। उनके साक्षात्कार में यह बात बार–बार सामने आयी कि व्यवसायिक क्षेत्रों के जुड़ाव के द्वारा जैवविविधता को मुख्य धारा में लाना होगा। उनके अनुसार यह जुडाव आवश्यक है क्योकि ''संपूर्ण वितरण श्रृंखला में व्यवसाय का महत्वपूर्ण प्रभाव है।'' यदि हम आइची के लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते है तो यह आवश्यक है कि इन शक्तिशाली भागीदारों के साथ काम किया जाये। यदि नही करते है तो, हमे जिस तरह से चीजों को करना चाहिए उसमे बदलाव नही ला पायेगे। उनके अनुसार ''व्यवसायिक क्षेत्र की टिकाऊ तरीके से काम करने की दिशा में समझ बढ रही है'' जो कि उपभोक्ताओं की मांग से भी प्रेरित है। इस पर कोई विचार या विवेचना नही करता कि कैसे कृत्रिम रुप से इन व्यवसायिक क्षेत्र द्वारा प्रचार आदि के माध्यम से स्थिति को बनाया जाता है। आर्थिक व्यवस्था (पूजीवाद) जो सामाजिक उत्पादन की प्रक्रिया जो लाभपर आधारित होने के साथ आधीन बनाती है एवं जो समाज एवं पर्यावरण नुकसान की कीमत पर चीजों एवं सेवाओं के ज्यादा एवं अनुउपयोगी उत्पादन पर आधारित है, उस पर विवेंचना एवं संदर्भ की कमी है।

यहां यह पूछें जाने की आवश्यकता नही है कि व्यवसाय के व्यवहार एवं कार्य करने के तरीकों में बदलाव की आवश्यकता है या नही। ऐसा इसलिए नही कि हमारे पास समय की कमी है बल्कि इस विचार की वास्तविक सीमाओं के चलते। ये सीमायें क्या है? सर्व प्रथम, यह एक अवधारणा है कि कम से कम इस समस्या के एक बड़े समाधान को मुक्त बाजार आधारित अर्थव्यवस्था मांडल के तहत हल किया जा सकता है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या निजी उद्यमों का एक बडा हिस्सा अपने लाभों की लालच से ऊपर परिस्थितकीय के टिकाऊ होने की प्राथमिकता सुनिश्चित करने की समझ रखता है। दूसरा, प्रभाव के रुप में क्या व्यवसायिक क्षेत्र पर जरुरत से ज्यादा निर्भर करना देश–राज्यों की करार को लागू करने से जुड़ी अनिवार्य जिम्मेदारी एवं उल्लंघन की स्थिति में उनकी शक्तियों से वंचित करेगा? क्या यह राज्यों में एक नई प्रवृत्ति को नही जोडेगा (प्राकृतिक संसाधनो के निजीकरण मे नियंत्रण) जो उनको और ज्यादा वंचित करेगा?

जैवविविधता संरक्षण के लिये बाजार व्यवस्था पर निर्भर होना बहुत ही विवादित है। स्कवैर ब्रैकट[७] के इस प्रति मे छपे एक लेख मे इस समस्या के बारे मे कहा गया कि ''जैवविविधता को वित्त से जोडना नई उदारीकरण अर्थतंत्र की मांग है जहां मौद्रिकरण (वित्त से जोडना) जैवविविधता संसाधनों के संरक्षण एवं उपयोग के लिये एक प्रमुख औजार है। यह जैवविविधता के उपयोग एवं परस्पर स्थानांतरण के लिये कीमत तय करता है.... इसके लिये अब तक आर्थिक संरचना का विकास ज्यादा विवादों में है क्यो कि प्रकृति के द्वारा प्रदान किये जाने वाले कई अप्रत्यक्ष लाभों के लिये कीमत तय करना सैद्धांतिक एवं प्रयोगिक रुप से असंभव है। यह भी सहमति है कि जैवविविधता संरक्षण में बाजार के उपयोग की सीमायें है। बाजार की असफलताओं एवं वित्त निर्धारण से जुड़ी समस्याओं को सुधारने में राज्य की प्रमुख भूमिका है।

डब्लू.डब्लू.एफ की जीवंतग्रह रिपोर्ट विशेष रुप से कम आय वाले देशों में जैवविविधता में कमी एवं अधिक आयवाले देशों मे परिस्थितकी फुट – प्रिन्टों के अधिक बढ जाने की स्थिति के प्रति सतर्क करती है। रियों २० + सम्मेलन के पूर्व प्रकाशित यह रिपोर्ट विश्व को उत्पादन एवं उपभोग प्रारुप में सुधार करते हुए पुन:नवीनीकृत उर्जा स्रोतों की और जाने की बात कहती है। डब्लू.डब्लू.एफ. अंतर्राष्ट्रीय के प्रमुख निदेंशक जिम लीपी ने १४ मई को जिनेवा में जीवंत ग्रह रिपोर्ट को पेश करते हुए कहा था कि ''पृथ्वी पर क्या हो रहा है, यह देखने के लिये यह समय महत्वपूर्ण है.... कीमत व्यवस्थाओं में कई कीमतों के शामिल न किये जाने के कारण बाजारों द्वारा लगातार गलत संकेतों को दिया जा रहा है। कीमतों द्वारा वास्तविकता को बताया जाना चाहिए। सरकारों को अनिवार्यत: जीवश्म ईंधनो से अनुदानों को खत्म करना चाहिए एवं सभी तक स्वच्छ उर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिये काम करना होगा।''[८]

आश्चर्य की बात है कि एक ओर जैवविविधता को मुख्य धारा में लाने एवं व्यवसाय को शामिल करने (टिकाऊ विकास पर ध्यान केन्द्रित करने के क्रम में) में जोर दिया गया वही दूसरी ओर अनुवंशिक संसाधनों तक पहुंच एवं इससे जुड़े लोगों के वितरण से जुड़ी चिंताओं के बारे में तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानों द्वारा लोगों के

---

७ देखे Scaling up biodivrsity finance, resource mobilization and IFMS - the civil society view – सिमोन लोवेरा (वैश्विक वन गुट) एवं रशीद अल महमूद टीटीमू (सीबीडी)

८ देखे : We are Living As if We Had One and a Half Planet – आइसोल्डा अगानी, स्रोत: http://www.ipsnews.net/news.asp?idnews=107782

पारंपरिक अधिकारों या संप्रभु राष्ट्र–राज्यों की सीमाओं का सम्मान किये बिना उनका लालच पेटेंट दावों को करने की ओर बढ़ा है। इन विषयों पर ज्यादा कुछ नही कहा है। कृषि व्यवसाय जो किटनाशकों के उपयोग, अनुवंशिक रुप से संवर्धित बीजों एवं कृत्रिम उर्वरकों, नाइट्रेट जैसे रसायन (पोषक तत्वों के लिये जो उत्पादन के दौरान नष्ट हो जाते है, जिससे मौलिक उत्पादकता को पुनः लाना है) के बारे मे निंदा हुई है जिसके विषय में सचिव के पास कहने के लिये ज्यादा कुछ नही है। औद्योगिक स्तर की कृषि से जुड़े इन बडे क्षेत्रो में कृषि, वन्यजीवों, छोटे किसानों एवं पर्यावरण के लिये नुकसान देह है।''[९] इस प्रकार कृषि व्यवसाय प्रमुख कारण है जिसमें प्राकृतिक आवासों जैसे वनों, दल–दल एवं घास क्षेत्र तथा चारागाह भूमि का बदलाव रोड (सड़क) एवं शहरी क्षेत्र के साथ औद्योगिक कृषि के विकास में हुआ है।

सीबीडी के उद्देश्य के संदर्भ में भारत का रिकार्ड (लेखा–जोखा) क्या है? भारत में सीबीडी के क्रियान्वयन की स्थिति क्या है?

२००९ में, जैवविविधता सम्मेलन पर भारत की चौथी रिपोर्ट[१०] बताती है कि हम लोग परिस्थितिक आदर्श की स्थित से बहुत दूर नही है।

इस संदर्भ मे यह प्रश्न उठ सकता है कि कैसे भारत का जीडीपी आधारित विकास का जुनून, सीबीडी के तीन उद्देश्यों के लिए बाजार आधारित विकास का जुनून, और सीबीडी के तीन उद्देश्यों के लिए बाजार आधारित विकास को कारगर बनाते हुए इसे मुख्य धारा मे लायेगा। किसी को भी आशंका हो सकती है कि यह स्थिति यथा स्थिति है।

चिंकारा

९ **देखेः** Marx's Ecology and the Understanding of Land Cover Change – **रिकार्डो दोबरोवोस्की, पूरे लेख के लिये** http://monthlyreview.org/2012/05/01 **देखे**

१० यह नयी रिपोर्ट लिखे जाने के समय पर्यावरण मंत्रालय के वेबसाइट पर उपलब्ध थी।

१. समाचार एवं सूचना

मछुआरों के वनाधिकार की मांग

सुन्दरवन के मछुआरे वनाधिकार की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि वन विभाग के अधिकारियों द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है न कि ग्रामीणों द्वारा।

''हम चाहते है कि वनाधिकार कानून २००६ सुन्दरवन द्वीप में तत्काल लागू हो ताकि वन अधिकारियों की सर्वोच्चता रुके।'' सुन्दरवन मछुआरा सम्मिलित कार्य समिति का कहना है कि ''वो हमारे जालों एवं नावों को लूटते हैं और हमसे मनमाना जुर्माना, बाघ संरक्षण के नाम पर लेते है।''

२२ मई को सुन्दरवन द्वीप के दूर वाले भाग से लगभग ३०० मछुआरे, सुन्दरवन मछुआरा सम्मिलित कार्य समिति के द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय जैवविविधता दिवस मनाने के लिए एकत्र हुए थे। इस वर्ष जैवविविधता दिवस का विषय समुद्री जैवविविधता था।

एफ.आर.ए. के अनुसार वन गावों में रहने वालों को यह अधिकार है कि वो वनों से लघुवन उत्पादों, जैसे शहद एवं लाख, को एकत्रित कर सकते हैं। पर वन विभाग के अधिकारियों द्वारा मछुआरों को जंगल के कोर या बफर क्षेत्रों में जाने से रोका जाता हैं। राष्ट्रीय मत्स्य कामगार मंच के सचिव प्रदीप चटर्जी का कहना है कि ''भारत मे २० मीलियन (एक मीलियन = १० लाख) लोग मछली पकड़ने के काम में लगे हैं। जिसे जैवविविधता समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है वहां उनका कहना है कि ''इस संधि का अपने देश में सबसे उपेक्षित हिस्सा स्थानीय समुदायों की जैवविविधता प्रबंधन मे भागीदारी है।'' लेखिका 'महाश्वेता देवी' जो इस कार्यक्रम में उपस्थित थी, उनका कहना था कि ''मछुआरों की विपत्तियों का मुख्य कारण वन विभाग के अधिकारियों की सर्वोच्चता है। उन्होंने कहा कि वो मछुआरों के लिए संघर्ष करेंगी और उनको आशा है कि इन मछुआरों की परेशानियां जल्दी ही खत्म होगी।'' जैसे कि वर्तमान (नई) सरकार पहले की सरकार से अलग है।

स्रोत:http://www.thestatesman.net/index.php?option=com_content&view=article&id=410793&catid=42

पश्चिमी घाट पारिस्थितिकीय विशेषज्ञ पैनल (डब्ल्युजीईईपी) रिपोर्ट[११] : मधुमक्खी के छत्ते को हिलाया:–

जैवविविधता का संरक्षण एवं सतत विकास के लिए तय रास्ता लोगों को प्रक्रियाओं (ई.आई.ए., जनसुनवाई आदि) से बाहर रखकर पूरा नहीं किया जा सकता न ही लोगों को अंधेरे में रखकर इस दिशा में कोई विकास किया जा सकता है। पर्यावरण मंत्रालय भारत के जैवविविधता संरक्षण को लेकर कितना गंभीर है वह हाल के दिल्ली उच्च न्यायालय के जस्टिस विपिन संधि के

११ यह समाचार पत्रों पर छपें कई समाचार रिपोर्टो पर आधारित हैहैं।

आदेश[१२] से पता चलता है। इस आदेश में पर्यावरण मंत्रालय से उच्च न्यायालय ने माधव गाडगिल की अध्यक्षता वाली पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल की रिपोर्ट के सारांश को जारी करने को कहा । पर्यावरण मंत्रालय रिपोर्ट को आखिर क्यों यह तर्क देते हुए छुपाना चाहता है कि यह आखरी प्रारुप नहीं है (जबकि लोगों के सामने यह साफ है कि यह वही है)। मंत्रालय का ये विचार था कि रिपोर्ट सम्मिलित राज्यों के आर्थिक लाभों के विरुद्ध है। अंतत: रिपोर्ट को लोगों के लिए उपलब्ध कराया गया। यह विवादित रिपोर्ट मंत्रालय को लगभग एक साल पहले दी गई थी। परंतु संभवत: मंत्रालय ने रिपोर्ट की अनुशंशाओं (विचारों) को स्वीकार नहीं किया था। आखिर क्यों पर्यावरण मंत्रालय योजना आयोग (जिसके अध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलुवालिया है जो विश्व बैंक में कार्य कर चुके है) के एक विभाग की तरह लगातार व्यवहार कर रहा है न कि एक स्वतंत्र मंत्रालय के रुप में, जिसका अधिकार क्षेत्र देश के वनों की रक्षा करना है।

डब्ल्यु जी.ई.ई.पी. की रिपोर्ट[१३] में यह बतलाया गया है कि ''वन अधिकार कानून–२००६ को पूरी तरह से वास्तविक मायने में अभी लागू किया जाना है एवं राज्य के वन विभागों को इस तथ्य से अवगत कराना आवश्यक है कि भविष्य में वनों से जुड़े प्रशासन के लिए इस कानून को पूरी तरह से लागू करना आवश्यक है। (डब्ल्युईईपी–भाग–II, P-66) वन अधिकार कानून–२००६, ग्राम सभाओं (ग्रामीण समितियों) को वन्यजीव संरक्षण, वन एवं जैवविविधता को ऐसी विनाशकारी क्रियाकलापों से जो उनके सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक आवासों को हानि पहुँचा सकते है, से सुरक्षा के अधिकार से अधिकृत करता है। आदिवासी गांवों के रिवाज एवं पारंपरिक सीमाओं को सामुदायिक वन संसाधन के रुप में पहचाना गया हैं। सामान्यत: पैनल का अवलोकन है कि ''पश्चिमी घाट राष्ट्रीय घरोहर के प्रस्ताव को बनाने एवं क्रियान्वयन में स्थानीय लोगों एवं समुदायों की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी की आवश्यकता है।'' (भाग–II, P-322) पर्यावरण मंत्रालय के इस अनुपयुक्त पहल के पीछे क्या कारण हो सकता है? न्यायालय ने कड़े शब्दों का उपयोग करते हुए केंद्रीय सूचना आयोग के निर्णय पर अपनी सहमति जताते हुए पर्यावरण मंत्रालय को फटकार लगाते हुए कहा कि– ''राज्य के वैज्ञानिक, कूटनीतिक एवं आर्थिक हित पर्यावरण सुरक्षा की आवश्यकताओं के विपरीत नहीं हो सकते।'' पर्यावरण मंत्रालय के सूचना आयोग के निर्णय से जुड़ी परेशानियों के बारे में उच्चन्यायालय का कहना था कि – ''ऐसा प्रतीत होता है कि पर्यावरण मंत्रालय का प्रयास डब्ल्यु.ई.ई.पी. की रिपोर्ट को रोककर रखना है। ताकि, बनाई गई नीतियों से अंतत: प्रभावित होने वाले सामाजिक समूहों, पर्यावरण संगठनों एवं आम आदमी की भागीदारी को रोका जा सके।''

पर्यावरण मंत्रालय द्वारा आर्थिक हित के पीछे की जाने वाली राजनीति तब साफ होती है जब हम देखते हैं कि क्या दांव पर है। जबकि आ.ई.यू.सी.एन. ने युनेस्को की विश्व घरोहर समिति को यह अनुसंशा की है कि ''भारतीय पश्चिमी घाट को विश्व घरोहर की सूची में मनोनीत करने के परिक्षण कार्य को फिलहाल टाल दें।'' पर्यावरण मंत्रालय का यह कहना गलत है कि ''स्थान को सूची में शामिल करने या निकालने के मनोनयन के विषय पर पश्चिमी घाट पारिस्थितिकीय विशेषज्ञ पैनल द्वारा कार्य नहीं किया गया है। साथ ही इस मुद्दे पर न ही कोई अनुशंशा की गई है।'' जबकि तथ्य बताते है कि डब्ल्यु.जी.ई.ई.पी. ने इस विषय पर काम किया है। रिपोर्ट में खनन, आधरभूत ढांचा, बिजली उत्पादन एवं पर्यटन के क्रिया कलाप से जुड़ी ई.आई.ए. प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए हैं। रिपोर्ट कहती है कि – ''ई.आई.ए. प्रक्रिया जो पश्चिमी घाट पर पारिस्थितिकीय तंत्र की सुरक्षा का एक प्रमुख केंद्र है उसे कई बिंदुओं पर त्रुटिपूर्ण पाया गया है। न केवल ई.आई.ए. रिपोर्ट त्रुटिपूर्ण है बल्कि ये भी पाया गया है कि जन सुनवाई से जुड़े मिटिंग मिनट से भी छेड–छाड की गई थी। हमने देखा एवं सुना कि ऐसा कई बार हुआ है कि ई आई ए सलाहकार गांवों में नहीं गए थे। उनके द्वारा उचित सर्वे एवं आंकलन पर अध्ययन नहीं किया गया था। त्रुटिपूर्ण ई.आई.ए. रिपोर्ट पर विश्वास करना या उसको मानना पूरे कानूनी प्रक्रिया का मजाक बनाना है। पश्चिमी घाट पर अनधिकृत खनन के कई मामले देखे गए जो कि बिना किसी स्वीकृति के, त्रुटिपूर्ण ई.आई.ए एवं स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन के साथ कामकर रहे हैं। ऐसे विचार बन रहे है कि गोवा, सिंधुदुर्ग एवं महाराष्ट्र के रत्नागिरि में सरकार एवं उद्योगों की आपस में सहमति है।[१४] पर्यावरण मंत्रालय की इस मंशा के पीछे और क्या कारण हो सकता है क्या पर्यावरण मंत्रालय जैवविविधता से घनी इस पश्चिमी घाट को ए.आई.सी.एच.आई से जुड़े उद्देश्यों की पूर्ति में अपनी प्रतिबद्धता मे प्रमुख रुप से जोड़ना चाहता है। क्या कॉप–११ का इससे कोई लेना–देना है?

एन.बी.ए द्वारा खबर की पुष्टि कि मोनसेन्टो/माहियको एवं अन्य के विरुद्ध बी.टी.बैंगन जैवचोरी प्रकरण में आपराधिक मुकदमा चलाया जायेगा!

राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण (एन.बी.ए., जैवविविधता संरक्षण,

१२ देखे: Release Western Ghats report, Delhi high court tells environment Ministry – अभिनव गर्ग, द टाइम्स ऑफ इंडिया, २० मई
स्रोत:http//articles.timesofindia.indiatimes.com/2012-05-20/pune/31788144-1-moef-rti-applicant-wgeep.

१३ रिपोर्ट के लिये देखे http://www.indiaenvironmentportal.org.in/reports-documents/report-western-ghats-ecology-expert-panel-2011

१४ देखे Gadgil panel : EIA process defective इंडियन एक्सप्रेस, मई २५, पेज–५

सुरक्षा एवं उपयोग से जुड़े सभी मामलों के लिये एक नियामक संस्था है) ने अधिकारिक रुप से यह बताया कि ''एन.बी.ए., भारत के पहले अनुवंशिकी रुप से संवर्धित जीव (जी.एम.ओ) भोजन से जुड़ी जैवचोरी तथा इसके प्रसार का जैवविविधता कानून के कथित उल्लंघन करने वालो के विरुद्ध शिकायत करने की दिशा में कार्यरत् है''।

भारतीय कानून के तहत गंभीर पर्यावरणीय अपराध के विरुद्ध शिकायत को उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आपराधिक मुकदमे के रुप मे माना जा सकता है। भारत ने पहले से ही कई वैज्ञानिक, कानूनी, स्वास्थ एवं समुदाय से जुड़ी चिंताओं को लेकर बीटी बैंगन के व्यवसायिक उपयोग एवं प्रसार पर रोक लगा रखी है।

२०१० में, पर्यावरण सहायता समूह (ई.एस.जी) ने शिकायत दर्ज की थी। अपने शिकायत मे ई.एस.जी समूह ने विश्व के एक एग्रीटेक कंपनी मोनसेन्टो, भारतीय भागीदार माहियको, सतगुरु कन्संल्टन्टस् (जो यू.यस.ऐड. एवं कर्नेल विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करते हैं) एवं कई लोगों के पैसे से संचालित कृषि संस्थानों जैसे कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय (धारवाड, कर्नाटका), तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय (कोयंबटूर) एवं भारतीय सब्जी शोध संस्थान (उत्तर प्रदेश) के खिलाफ भारतीय बैंगन की विलुप्ती के कागार पर पहुँचे १६ किस्मों तक पहुँच रखने के लिए जैवविविधता कानून का उल्लंघन तथा ट्रांसजेनिक बीटी बैंगन के २००५–१० के बीच व्यवसायिक प्रसार पर दर्ज कराई गई थी।

स्रोत – भारत में जैव चोरी से जुड़े ईएसजी के प्रयासों एवं उससे जुड़े उपरोक्त दस्तावेजों से जुड़ी जानकारी www.esgindia.org पर उपलब्ध है।

जैवविविधता संरक्षण को लेकर पर्यावरण मंत्रालय कितना गंभीर है?

लोकलेखा समिति की रिपोर्ट जिसे २७ अप्रैल २०१२ को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया उसमे यह उजागर किया गया है कि[१५] वन एवं पर्यावरण मंत्रालय देश के पर्यावरण की प्रभावी सुरक्षा में असफल रहा है। रिपोर्ट यह भी बताती है कि पर्यावरण कार्यक्रमों को एवं मंत्रालय के अंदर वनीकरण, जैवविविधता संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण शिक्षा से जुड़े संस्थाओं के कार्य में गंभीर अपर्याप्तता रही है।

ई.आई.ए., वेदांता की कहानी जारी– इतिहास अपने आप को दोहराता है। पहले त्रास्दी, बाद में मजाक के रुप में! –

ओडिसा के लोक शक्ति अमियान संगठन ने पर्यावरण मंत्रालय द्वारा ई.आई.ए सलाहकार, ग्लोबल एक्सपर्ट को वेदांता एल्युमीनियम लि. की उत्पादन क्षमता एक मीलियन टन प्रतिवर्ष (एमटीपीए) से ६ एमटीपीए बढ़ाने के लिए ईआईए अधिसूचना–२००६ के तहत ईआईए रिपोर्ट तैयार करने के लिए टर्मस ऑफ रिफरेंस (टी.ओ.आर) २ फरवरी २०११, को दिये जाने की आलोचना की है। यह तब दिया गया जब स्वयं वेदांता के अनुसार प्लांट का लगभग ५५ प्रतिशत कार्य ई.आई.ए. अधिसूचना–२००६ के तहत मिलने वाली स्वीकृति के बिना पूरा किया जा चुका था। यह हमें उस स्थिति की याद दिलाता है जब २००६–०७ में, सर्वोच्च न्यायालय के हरित पीठ (ग्रीन बैंच) के सामने वेदांता द्वारा यह पक्ष रखा गया कि प्लांट के निर्माण में बड़े पैमाने पर पैसा लगाया जा चुका है इसलिए उसे स्वीकृति दी जानी चाहिए। जबकि वेदांता द्वारा लांजीगढ़ प्लांट के निर्माण में पूरी तरह से कानूनी प्रक्रियां की अनदेखी की गई थी। साफ तौर पर ई.आई.ए. रिपोर्ट इस तथ्य को बताती है कि प्लांट के लिए बॉक्साइड की पूर्ति ३.७ किमी. पर स्थित लांजीगढ़ खदानों नियामगिरि से की जाएगी। जबकि पर्यावरण मंत्रालय ने नियामगिरि पहाड़ियों से खनन के लिए दिए गए वन स्वीकृति को २४ अगस्त २०१० को वन संरक्षण कानून के उल्लंघन के आधार पर निरस्त कर दिया था। खदान के लिए दी गई पर्यावरण स्वीकृति राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण एवं पर्यावरण मंत्रालय के आदेश के बाद निष्क्रिय एवं निरस्त हो गयी थी। जबकि ओडिसा खनन कॉर्पोरेशन ने पर्यावरण मंत्रालय के उपरोक्त निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। अब तक इस विषय पर न तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई है और न हि हरी झंडी दी गई है। वेदांता द्वारा, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा विस्तार परियोजना को रोके जाने के विरुद्ध ओडिसा उच्च न्यायालय में दायर अपील को दो बार निरस्त किया जा चुका है। ऐसा जान पड़ता है कि बॉक्साइट पूर्ति कराने वाली किसी भी खान के उपलब्ध न होने के बावजूद वेदांता अपनी रिफाइनरी के विस्तार की योजना कर रही है। उसका विचार है कि वह बॉक्साइट की अपूर्ति नियामगिरि से करेगा। यह आरोप लगाया गया है कि वेदांता की योजना साफ है कि पहले रिफाइनरी एवं बिजलीघर के निर्माण में निवेंश करो बाद में खदान की स्वीकृति के लिए आवेदन करो। ऐसा पहले भी हुआ है तो इस बार क्यों नही होगा। दुर्भाग्य से पर्यावरण मंत्रालय वेदांता की सभी फाइलों को बंद करने एवं टर्म ऑफ रिफरेंस देने वाले अधिकारियों को, जो कि नियामगिरि पहाड़ियों पर खनन पर आधारित है, जिसे पहले ही अस्वीकृत कर दिया गया था, कार्यवाही करने की जगह ऐसी चीजों को होने दे रहा है।

यह भी सामने आया है कि ई.आई.ए. सलाहकार ने यह स्वीकार किया है कि उसके द्वारा जन सुनवाई आयोजित की गई है एवं पर्यावरण मंत्रालय एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्वीकृति के लिए अपने ग्राहक की मदद की थी। यह ई.आई.ए. सलाहकार के निष्पक्ष होने की शर्त के विपरीत है। जन सुनवाई आयोजित करना राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जिम्मेदारी है एवं नियामक प्राधिकरण के साथ स्वीकृति के लिए संपर्क करना परियोजना प्रस्तावक (समर्थक) की जिम्मेदारी है न कि ई.आई.ए सलाहकार का उत्तरदायित्व है।

---

१५ देखे: Environment ministry rapped – कुमार संभव श्रीवास्तव, स्रोत: http://downtoearth.org.in/content/environment-ministry-rapped

पूर्वोत्तर भारत के शिकारी आदिवासियों को समुदायिक वन संरक्षण के लिये प्रोत्साहन देने के लिये वन्यजीव अधिकारियों का निर्णय–

ट्रॅफिक इंडिया एवं विश्व वन्यजीव कोष (डब्ल्यु.डब्ल्यु.एफ.) ने पहलीबार सुरक्षा बल जो सीमाओं की निगरानी करते है, सीमाशुल्क विभाग, पुलिस बल एवं वन विभाग के अधिकारियों को साथ लाकर इस क्षेत्र के वन्यजीव व्यापार के संवेदनशील होने की चिंता के कारण शिकार को नियंत्रित करने के तरीकों पर गंभीर विचार–विमर्श किया गया। यह कार्यक्रम अरुणाचल प्रदेश के वन विभाग के द्वारा आयोजित किया गया।

बाघ यहां के जंगलों जैसे डामपा व्याघ्र आरक्षित क्षेत्र एवं नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की उपस्थित के साथ बाजार में अतिरिक्त प्रजातियों जैसे पेंगालीन के शरीर के भागों की बढ़ती मांग एवं म्यांमार में फर एवं हड्डी के व्यापार के कारण इन संस्थाओं को साथ आना अपराधिक नियंत्रण के लिए अतिआवश्यक है।

यह क्षेत्र एक प्रमुख घनी जैवविविधता वाला क्षेत्र है। मणीपुर की मोरी सीमा एक प्रमुख सीमापार का रास्ता है, इस रास्ते से न केवल बाघ के हिस्से बल्कि कछुआ के मांस एवं पेंगालीन के टुकडे एवं मीट को चीन की पारंपरिक दवाइयों में उपयोग के लिए ले जाया जाता है। इन उत्पादों को म्यांमार के रास्ते ले जाया जाता है जो अच्छी तरह से न केवल भारत की सीमा बल्कि बंग्लादेश, थाइलैंड एवं चीन की सीमा से भी जुड़ा हैं।

स्रोत –http://dailypioneer.com/nation/63289-incentives-mulled-to-keep-ne-tribals-from-clutches-of-poachers.html

संकटग्रस्त बाघों के आवास के लिए बफर क्षेत्र

३ अप्रैल २०१२ को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि ३ महीने के अंदर संकटग्रस्त व्याघ्र आवासों के कोर क्षेत्र के चारो तरफ बफर क्षेत्र को अधिसूचित करे। सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्देश राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा वन्यजीव संरक्षण कानून–१९७२ के तहत २००८ के निर्देश पर आधारित था। बफर क्षेत्र, व्याघ्र आरक्षित कोर क्षेत्र के चारो ओर वह क्षेत्र होता है जिसे बाघों के विस्तार (फैलाव) के लिए स्थान को बढ़ाने एवं मानव वन्यजीव सहअस्तित्व को बढ़ाने के लिए होता है। निर्देश का तात्पर्य इन स्थानों को बनाने के पीछे पर्यटन को कोर क्षेत्र से हटाकर बफर क्षेत्रों पर स्थापित करने पर केंद्रित है।

वन्यजीव संरक्षण कानून – १९७२, के अनुसार यह आवश्यक है कि संकटग्रस्त व्याघ्र आवासों से सभी पुनर्वासों को ग्रामसभा की सहमति एवं प्रक्रिया में शामिल कर, शर्तों पर परस्पर सहमति के बाद होना चाहिए, जबकि प्रक्रिया सहभागी नहीं है जैसा कि अकसर ग्रामसभा एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं की अनदेखी की जाती है या सतही तौर पर पुनर्सीमन एवं पुनर्वास की प्रक्रिया में शामिल किया गया है। यह वनाधिकार कानून–२००६, एवं वन्यजीव संरक्षण कानून–१९७२ जो समस्त व्याघ्र आवासों के अंदर वैध ठहराता है उसका यह उल्लंघन है।

बफर क्षेत्र से जुड़े अन्य मुद्दों में अधिकतर जैसे इन निर्धारित क्षेत्रों में कभी–कभी राजमार्ग एवं रेल मार्ग जो इन क्षेत्रों से गुजरती है, साथ में औद्योगिक क्षेत्र या भूमि एवं लकडी माफिया का नियंत्रण है। ग्रामीण एवं कृषि भूमि का बफर क्षेत्र के लिए हडपना, जिसमें स्थानीय लोगों का जीवन एवं आजीविका से जुड़ी चिंताएं भी है। बफर क्षेत्रों के द्वारा भारत में बघों की स्थिति सुधरेगी या नहीं इसपर अलग–अलग मत हैं। कैसे इस निर्णय पर पहुँचा गया, बाघ आरक्षित क्षेत्र के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक एवं परिस्थिति के पहलुओं के हर पक्ष पर क्या विचार किया गया, प्रभावित होने वाले लोगों के विचारों को किस सीमा तक लिया गया आदि प्रश्न अभी भी केवल कल्पना (अनुमान) मात्र है।

उपरोक्त टिप्पणी परिसिस तारापोरवाला, कल्पवृक्ष द्वारा दी गई है।

एक रिपोर्ट के अनुसार आधी दिल्ली के बराबर वनों का विनाश हुआ–

वनों के विनाश पर हाल ही की एक रिपोर्ट के अनुसार केवल २००७–०९ के बीच भारत ने आधी दिल्ली के बराबर वनों को खो दिया है। यह अध्ययन भारतीय विज्ञान संस्थान, बैगलुरु के वनीकी शोधार्थियों द्वारा किया गया था। अध्ययन के अनुसार भारी मात्रा में वनों के विनाश को भारतीय वन सर्वेक्षण के वनीकरण के आंकडों के द्वारा ढक दिया गया है। भारतीय विज्ञान संस्थान (एफएसआई) सिरे से खारिज करते हुए बताती है कि केवल दो वर्षों में ही ९९८५० हैक्टेयर वनों का विनाश हुआ है।

भारत में वनों के विनाश एवं क्षरण–रेड पर प्रभाव के अध्ययन के प्रमुख सदस्य एन.एस.रविन्द्रनाथ का कहना है कि ''मात्र दो वर्षों में ९९८५० वनों नुकसान हुआ है जो कि छोटा क्षेत्र नहीं है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक वन भी शामिल हैं। हमारा अध्ययन इस मिथ को खण्डित करता है कि भारत में वनों का विनाश नहीं हुआ।''

स्रोत: http://economictimes.indiatimes.com/environment/the-good-earth/forests-equal-to-half-of-delhi-lost-reveals-report/articleshow/12725480.cms

इन्डीयन डेजर्ट जर्ड

२. सीबीडी एवं कॉप–११

सीबीडी कॉप–११ की तैयारी

जैवविविधता करार पर भागीदार देशों का सम्मेलन आयोजित करने का भारत का प्रयास ऐसे महत्त्वपूर्ण समय में हुआ है जबकि देशों का भरोसा कम से कम पर्यावरण विचार विमर्श एवं निर्णय लेने से जुड़े विषयों पर बहुपक्षीय पहलू के एकीकृत होने से बढ़ा है। यह भरोसा सीबीडी में शामिल १९३ देशों द्वारा नगोया (जापान) में अक्टूबर–२०१० में आयोजित सीबीडी कॉप–२०१० में लिए गए प्रगतिशील निर्णयों का परिणाम है। इस शताब्दी में आयोजित पहली वैश्विक बैठक जिसे संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा जैवविविधता शताब्दी (यूएनडीबी–२०११–२०) घोषित किया है एवं यह बैठक २०१० में जैवविविधता संसाधनों के संरक्षण, टिकाऊ उपयोग एवं लाभों के हिस्सेदारी से जुड़े नए उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को अपनाने के बाद हो रही है, जिसने न केवल कुछ देश बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है।

महत्त्वपूर्ण मुद्दों जैसे संसाधनों तक पहुँच तथा लाभ के सहभाजन (एबीएस) के नगोया प्रोटोकौल में शामिल किए जाने को लेकर पूर्व की कॉप बैठक (कॉप–१०) के तनावपूर्ण सौदेबाजी के साथ समाप्त होने के बाद भी यह बैठक करार से जुड़ी नई महत्त्वपूर्ण योजनाओं एवं वैश्विक जैवविविधता के लक्ष्यों से जुड़े वित्त (विषयों) पर निष्कर्ष पर पहुँचे बिना खत्म हो गई थी। ये मुद्दे मुख्य रुप से उन मुद्दों जैसे द्वीपीय जैवविविधता (जिसे गहरे विचार–विमर्श के लिए निर्धारित किया गया है), एबीएस पर आयोजित नगोया प्रोटोकौल को स्वीकृत करने की दिशा में पहल एवं विकासशील देशों द्वारा जैवविविधता के लक्ष्यों को लागू करने में किए गए प्रयासों की समीक्षा कॉप–११ की बैठक में प्रमुख रुप से सामने आ सकती हैं।

भारत ने कॉप–११ में उच्चस्तरीय मंत्रियों के विचार विमर्श के लिए जैवविविधता एवं जीविका, तटीय एवं समुद्री जैवविविधता, जैवविविधता से जुड़े वित्तीय मामले एवं उनका लेखा–जोखा एबीएस के प्रावधानों के क्रियान्वयन की स्थिति आदि विषय सुझाए हैं।

भारत ने वैश्विक नीतियों के निर्माण एवं उनके क्रियान्वयन से जुड़े मुद्दों के प्रबंधन के लिए अन्य देशों की तुलना में प्रवल दावेदार के रुप में प्रतिष्ठा हासिल की हैं। जहाँ अन्य देशों द्वारा एबीएस से जुड़े सिद्धांतों एवं रुप रेखा को निर्धारित करने के लिए संघर्ष कर रहे है वहीं भारत ने जैवविविधता कानून बनाया जो एबीएस से जुड़े मुद्दों के लिये वृध्द् (विस्तृत) एवं महत्वपूर्ण रुप रेखा को बताता है।

नगोया प्रोटोकौल में एबीएस से जुड़ी अधिकतर धारायें ऐसी जान पडती है कि सभी सीधे तौर पर भारतीय कानून की धाराओं से जुड़ी हैं। चाहे वह अनुपालन से जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृत में क्या होगा का मुद्दा हो या लाभ मे हिस्सेदारी के प्रावधान हो, या जैविक संसाधनो के स्रोत/ मूलस्थान के विषय में पेटेंट आवेदन में अनिवार्य विवरण देने से जुड़ा मुद्दा हो। भारत की इन मुद्दों को कानूनी दायरे मे लाने मे दूरदृष्टि की अनदेखी नही की जा सकती है।

इस संदर्भ में, भारत एबीएस पर नागोया प्रोटोकौल मे ज्यादा भरोसा लाने के साथ विश्व को पहुंच एवं लाभ की भागीदारी से जुड़े उद्देश्यों को समझने की दिशा में रास्ता भी दिखा सकता है। प्रोटोकौल को अपनाने एवं लागू करने की प्रक्रिया धीमी गति से हो रही है अत: अन्य देशों के साथ अपने अनुभवों को बांटते हुए उनको एबीएस पर अपनी राष्ट्रीय प्रशासनिक, नियामक एवं कानूनी ढांचा विकसित करने के लिये प्रोत्साहन देना उपयुक्त होगा।

सीबीडी कॉप–११ के आयोजन में जैवविविधता एवं आजीविका को रेखांकित करने से जुड़ी होनेवाली उच्चस्तरीय बैठक में देशों से जुड़े अनुभवों के विषय मे भारत के अनुभवों को रेखांकित किया जा सकता है। भारत संरक्षण के लाभों एवं आजीविकाओं के टिकाऊ (सतत् /युक्तिसंगत) उपयोग को निर्धारित करने में स्थानीय प्रयासों को सुनिश्चित करने के क्षेत्र में आगे है। इससे जुड़े अनुभव बिखरे हुए है जो सीमित तौर पर लोगो को उपलब्ध है। यदि इन अनुभवों को संकलित किया जाता है तो यह संकलन संरक्षण एवं विकास के लिये वैश्विक रुपरेखा तैयार करने में सहायक होगे।

इसके अलावा, राष्ट्रीय जैवविविधता कार्य योजना के संशोधन की प्रक्रिया, इसे मुख्यधारा मे लाने के प्रयासों पर विचार तथा २०१२–२०२० के लिये राष्ट्रीय जैवविविधता लक्ष्य का निर्धारण भी आयोजित होने वाली कॉप–११ मे चर्चा के लिये उपयुक्त हो सकता है। भारत की संरक्षण नीति समय के अनुरुप है। हाल ही में, राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण (एन.बी.ए.) द्वारा कराये गये सर्वेक्षण के अनुसार देश में १३० संस्थाए केवल तटीय एवं समुद्री मुद्दों पर काम कर रही है। जानकारियों की उपलब्धता मे कमी हमें क्षमताओं, अनुभवों एवं आंकडो के क्षेत्र मे कमजोर करती हैं।

ऐसे मे जबकि, भारत २०१२ से २०१४ के लिये जैवविविधता से जुड़े प्रशासन की अध्यक्षता करने वाला है, इस स्थिति मे देश के सभी संबंधित लोगो को जैवविविधता प्रशासन से जुड़ी वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिये एवं अपने अनुभवों एवं क्षमताओं को दिखाने के लिये एक साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है।

सहयोग: बालकृष्ण पिशुपति[१६] (ईमेल:chairman@nbaindia.in)
अध्यक्ष, राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण।
पता: तल–५, टिसेल बायो पार्क, तारामणी, चेन्नई–६००१३, तमिलनाडु. वेबसाइट: www.nbaindia.org

नागोया प्रोटोकौल: गैर जिम्मेदार पहुंच?

वर्ष २०११, जापान में सीबीडी द्वारा नगोया प्रोटोकौल को स्वीकर किया गया, इसमें जैवविविधता सम्मेलन से जुड़े

१६ लेख, राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा लिखित है। लेख में दिये गये विचार लेखक एवं उस संस्था के है जिससे वे जुड़े हैं।

जैवविविधता संरक्षण, इसके घटकों का टिकाऊ उपयोग एवं अनुवंशिक संसाधनों एवं पारंपरिक ज्ञान के उपयोग से प्राप्त लाभों में बराबर की हिस्सेदारी को महत्त्वकांक्षी रुप से दोहराया गया।

नगोया प्रोटोकौल मुख्य रुप से पहुंच तथा लाभ मे बराबर की हिस्सेदारी पर जोर देता है। जबकि बॉन निर्देशिका (२००३), में पूर्वसूचित अनुमति एवं परस्पर सहमति शर्तो से जुड़े मुद्दों को शामिल किया गया था। इसे उपलब्ध कराने वाले देशों के संदर्भ मे स्वीकृत प्रोटोकौल का प्रारुप कमजोर था। फिर भी, यह इस मायने मे महत्त्वपूर्ण था कि यह विश्व स्तर पर हो रही जैविक चोरी से जुड़ा था जो कि स्थानीय परिस्थितिकीय एवं समुदाय को नुकसान पहुचा सकता था। कुछ लोगो का मानना है कि पहुंच को नियंत्रित करने से जैविक चोरी जैवसंसाधनों की खोज मे बदल सकती है जोकि संरक्षण, संसाधनों के टिकाऊ उपयोग एवं स्थानीय समुदायों के सशक्तिकरण से जुड़ी है।

यह आवश्यक है कि प्रोटोकौल के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये ऐसे तंत्र को विकसित किया जाये जिसके द्वारा उद्देश्यों को क्रियान्वयित करने के साथ इन पर निगरानी भी रखी जा सके। प्रोटोकौल एवं सम्मेलन मे यह तय हुआ था कि ए.बी.एस. का क्रियान्वयन एवं निगरानी घरेलू कानूनों एवं नीतियों के तहत होगी। समुदायों एवं परिस्थितिकीय को कमजोर घरेलू कानून के सहारे छोडना इन्हे कमजोर एवं लाभ से वंचित करता है। पी.आई.सी. से जुड़े मुद्दे घरेलू कानून पर निर्भर करते है तथा तभी लागू हो सकते है जब दूसरा पक्ष इसे अपने उपयुक्त पाता है।[१७]

यह प्रोटोकौल, संसाधनों के कई लोगो के पास उपलब्धता तथा सांस्कृतिक एवं भौगोलिक सीमाओं से परे प्रचलित पारंपरिक ज्ञान के मुद्दों पर प्रभावी ढंग से लागू नहीं होता है। इसके अलावा, जहां बैद्धिक संपदा अधिकार (आइ.पी.आर.) को लागू नहीं किया गया ऐसे क्षेत्रों मे उन समुदायों की पहचान नही करता जिन्हे उनके अपने संसाधनों एवं ज्ञान के स्वतंत्र उपयोग पर रोक लगाता है। जबकि, लोगों के अन्य समूह के पास इन संसाधनों के नियंत्रण का अधिकार है।

प्रोटोकौल में लाभ को बराबर की हिस्सेदारी से जुड़े २७ मौद्रिक तथा अमौद्रिक तरीकों की सूची को बताया गया है। यह आवश्यक है कि इस सूची पर पुनर्विचार किया जाये क्योकि इसमें मौद्रिक लाभ पर ज्यादा ध्यान दिया गया है जबकि सूची में बताये गये अमौद्रिक लाभों से जुड़े विकल्प स्थानीय समुदायों के लिये उपयुक्त नही हो सकते है। विशेषकर, पी.आई.सी. एवं एम.ए.टी. की अनुपस्थिति में लाभों का बटवारा।

प्रोटोकौल संरक्षण के ऐसे स्वरुप से जुड़ा है जो व्यापार पर आधारित है तथा जिसकी आलोचना इस आधार पर की गयी है कि यह जैव उद्योग के पक्ष में जैविक संसाधनों एवं पारंपरिक ज्ञान का विश्लेषण करता है न कि, पर्यावरण तथा मूल निवासियों के पक्ष मे। ए.बी.एस के द्वारा यह प्रदर्शित होता है कि इसका पहुंच के साथ लाभ में हिस्सेदारी की धारणा के साथ जुडाव को अलग नही किया जा सकता है। तथ्य बताते है कि इस जुडाव पर विश्वास नही किया जा सकता क्योंकि जैवसंसाधनों तक पहुंच रखने के लिये पी.आइ.सी. तथा एम.ए.टी. आवश्यक नहीं है।

यहाँ यह भी स्पष्ट नही है कि यह प्रोटोकौल कब से प्रभावी होगा तथा सम्मेलन या प्रोटोकौल में हस्ताक्षर करने से पूर्व मे प्राप्त लाभों पर यह लागू होगा या नही। इसे आसान पहुंच एवं अव्यवसायिक शोध के लिये निर्धारित किया गया है। यह एक जटिल पहलू है क्योकि व्यवसायिक एवं अव्यवसायिक शोध के बीच की सीमायें अक्सर साफ नही होती है।

जैवसंसाधनों के उपयोग से प्राप्त अन्य उत्पादों का मुद्दा विवादों मे हैं क्योकि अपनाये गये प्रोटोकौल की धारा २.१ मे इसे परिभाषित करने के अलावा कुछ नही बताया गया है। इस अस्पष्टता के कारण जैवरासायनिक पदार्थों को जैवसंसाधनों तक पहुंच रखे बिना औपचारिक पदार्थों तक पहुंच रखकर प्राप्त किया जा सकता है। पहुंच रखने की एक निश्चित प्रक्रिया की कमी के चलते लाभों मे हिस्सेदारी को किनारे किया जा सकता है जिसका प्रभाव स्थानीय संसाधनों को रखने वालो पर पडेगा क्योकि वो लाभ से वंचित रह जायेगे। उपरोक्त उठाये गये मुद्दों से यह निष्कर्ष निकलता है कि सीबीडी द्वारा प्रोटोकौल के विश्लेषण के लिये महत्त्वपूर्ण तरीकों को नही अपनाया गया। यह माना गया कि सभी लोग बराबर हैं परन्तु समझौते मे केवल एक पक्ष के हितों को ध्यान में रखा गया। जब ए.बी.एस. को तैयार एवं क्रियान्वित किया जाये तो यह आवश्यक है कि व्यवस्था मे फैले भ्रष्टाचार एवं उदासीनता के साथ प्रशासन के राजनीतिक एवं संरचना (ढांचे) के पहलू को ध्यान मे रखा जाये।

लेख : पर्सिस तारापोरवाला

सीबीडी संगठन एवं कॉप–११

जैवविविधता सम्मेलन (सीबीडी) एक अंतर्राष्ट्रीय संधि थी जिसे १९९२ में आयोजित टिकाऊ (सतत / युक्तिसंगत) विकास के सम्मेलन में स्वीकार्य किया गया था। इसे रियो–डी–जिनारियो मे हुए पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। सीबीडी के प्रारुप के तहत उसमें भाग लेनेवाले भागीदार देशों द्वारा एक निश्चित समय अंतराल पर जैवविविधता से जुड़े मुद्दों पर बैठक करने एवं नई नीतियों तथा दिशा–निर्देशों पर विचार कर समझौता करने की बात कही गयी थी।

विभिन्न देशों के बीच द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय व्यापारिक समझौतों के लगातार बढ़ते दबाव को देखते हुए सीबीडी एक महत्त्वपूर्ण भूमिका मे वैश्विक वाणिज्यिक वातावरण को प्रभावित कर सकता है। सीबीडी राष्ट्रीय स्तर पर जैवविविधता संरक्षण की दिशा में मार्गदर्शन भी कर सकता है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनो ही स्तर पर नीतियों को बदलने

१७ धारा ६.३ एफ (नगोया प्रोटोकौल)

की क्षमता के साथ सीबीडी जनसमाज के भागीदारी के लिये एक महत्त्वपूर्ण मंच है।

अप्रैल २००२, हेग–नीदरलैंड मे कॉप–६ के आयोजन के बाद सीबीडी द्वारा कार्यकर्ताओं, प्रतिनिधियों, गैरसरकारी संगठनों (एम. जी.ओ.), समुदायिक संगठनों, सामाजिक आंदोलनों से जुड़े लोग तथा स्थानीय नागरिकों के संगठनों आदि की सीबीडी की प्रक्रिया में ज्यादा से ज्यादा एवं पूर्वसूचित भागीदारी की वकालत करता है। पूर्व मे सीबीडी मे शामिल संगठन न तो लोक (जन) सामाजिक संगठन के रुप में कार्य कर रहे थे, न हि जनसमाज की आवाजों को सामने लाते थे। बल्कि, ये संगठन सीबीडी के नीति–निर्धारण एवं प्रक्रिया निर्धारण को प्रभावी बनाने मे अपना सहयोग दे रहे थे। सीबीडी के मुद्दों पर काम करने वाले सभी सी.एस.ओ. के लिये यह (सीबीडी) खुला है जो कि समुदायों के बीच से प्रजतांत्रिक तरीकों से चुने गए लोगों के बोर्ड द्वारा संचालित होता है। सीबीडी संगठन का एक उद्देश्य एवं मत है कि– सीबीडी की प्रक्रिया मे लोक समाज की प्रभावी भागीदारी एवं उसकी विविधता को सुनिश्चित किया जाए जो एक तरह से वैश्विक वर्ग विशेष के विचारों से जुड़ा होने के साथ शक्तिशाली निजी क्षेत्र के प्रभाव मे हैं।

सीबीडी संगठन जनसामाजिक संगठनों के सीबीडी के प्रमुख मुद्दों से जुड़ी क्षमताओं का विकास करेगा। प्रमुख मुद्दों मे समुद्री एवं समुद्र तटीय जैवविविधता, परिस्थितिकी तंत्र की पुनर्स्थापना, जैवविविधता एवं जलवायु परिवर्तन (जिसमे आर.ई.डी.डी. तकनीक भी शामिल है), जैवविविधता एवं विकास से जुड़े मुद्दे शामिल है।

इस संदर्भ मे सीबीडी संगठन मुख्यरुप से कॉप–११ मे होनेवाले महत्त्वपूर्ण समझौतो से जुड़े कार्यो को आयोजित करने मे सक्रिय है। हमेशा की तरह संगठन विषय पर रणनीति के विषय पर जन समाज के लिये एक सत्र आयोजित करेगा ताकि जनसमाज की भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए इसे प्रभावी बनाया जा सके एवं कॉप–११ के लिये प्रमुख मुद्दों पर संक्षिप्त विवरण[१८] तैयार किया जा सके। कॉप–११ से जुड़े मुद्दों मे प्रमुख मुद्दे निम्न हैं :–

१. सीबीडी संगठन, सीबीडी के मुख्य मुद्दों पर जनसमाज की क्षमताओं को विकसित करेगा।
२. सीबीडी संगठन जनसमाज की भागीदारी के अवसरों को बढाने के लिये सीबीडी सचिवालय के साथ मिलकर लगातार काम करेगा।
३. जनसमाज की आवाज को सीबीडी लगातार उठाता रहेगा।

सहयोग: तसनीम बालासिनोरवाला, ईमेल: just.tasneem@gmail.com, संयोजक सीबीडी संगठन

वेबसाइट: www.cbdalliance.org

कानूनी बाध्यता या नही?[१९]

परिस्थितिकी विशेषज्ञ एस फैजी (सीबीडी के जैवविविधता एवं गरीबी से संबंधित विशेषज्ञ समूह के सदस्य एवं सीबीडी संगठन बोर्ड के सदस्य) की दलील है कि यह समझौता कानूनी रुप से बाध्यता है लेकिन इसे गंभीरता से नही लिया गया है। चुंकि यह सम्मेलन बहुपक्षीय मुद्दों पर सहमति से संबंधित था जो कि संधि के कानून पर वियाना सम्मेलन में सहमति से तय किया गया था। सीबीडी धाराओं के तहत इसे लागू करना था न कि इसे फिर से समझौते के लिये लाना (कुछ अपवादों को छोड़कर) था। फैजी को दु:ख है कि कॉप की बैठकों मे न तो इन पर गंभीरता से पुनर्विचार किया गया और न हि इसके उल्लंघन के खिलाफ कदम उठाये गये।

उनका मानना है कि सीबीडी संधि के कानूनी रुप से बाध्यता से भटकाव के पहलू पर कार्य करने में असफल रही है। यही वजह है कि जैविकचोरी (बायोपाइरेसी), जैवविविधता में कमी, स्थानीय समुदायों की लगातार हो रही उपेक्षा तथा विभिन्न प्रशासनिक नितियों एवं कानूनी उपाय केवल कागजों तक ही सीमित है। कठोर शब्दों में (आरोप लगाते हुए) फैजी कहते है कि, "कानूनी रुप से बाध्य संधि को कानूनी रुप से अबाध्यकर कार्यक्रमों, नीतिगत् योजना एवं चुने हुए लक्ष्यों के निर्धारण आदि के द्वारा संधि को अनुउपयोगी बनाया गया है एवं इस पूरी प्रक्रिया में संधि के स्पष्ट एवं नियत प्रावधानों को कमजोर किया गया है।" फैजी पूछते है कि पहुंच एवं लाभ में बराबर की हिस्सेदारी के बारे मे क्या हुआ? इसके लिये फैजी उदाहरण देते हुए बताते है कि संबंधित पक्ष द्वारा अनुवंशिक संसाधनों तक पहुंच से जुड़े प्रावधान (१५.१), परस्पर सहमति पर आधारित शर्ते (१५.४) एवं पूर्व सूचित सहमति (१५.५) को लागू नही किया गया तो क्या होगा? "२०१० में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी की गयी एक सूचना के अनुसार २००० से अधिक पेटेंट जो कि जैविकसंसाधनों एवं पारंपरिक ज्ञान के विषयों से जुड़े है, सरकार को सूचना दिये बिना ही हुए है। इस तरह से हो रही जैविक चोरी, सीबीडी के बाध्यकारी प्रावधानों का उल्लंघन है। इसके बावजूद भी उल्लंघन के खिलाफ सीबीडी के प्रावधानों को लागू नही किया जा रहा है। इस तरह के उल्लंघन के लिये सचिवालय स्तर पर कोई निगरानी तंत्र नही है और न हि कॉप के बैठकों में इस तरह के उल्लंघनों पर पुनर्विचार किया गया है। जबकि, सीबीडी की धारा (१५.७) में प्रावधान है कि लाभ मे हिस्सेदारी के लिये संबंधित पक्ष कानूनी, प्रशासनिक एवं नीतिगत् उपायों को उठायेगा। पिछले दो दशकों मे कॉप ने इन सभी प्रभावी शर्तो/ प्रावधानों को लागू करने मे संबंधित पक्षों की असफलता पर न तो विचार किया है और न हि कोई कार्यवाही की है।"

---

१८ यह संक्षिप्त विवरण सीबीडी संगठन समुदाय के साथ पूरे सहयोग से तैयार किया गया है जो इसे औपचारिक रुप देने के पहले प्रारुप को तैयार एवं इसकी समीक्षा करता है। देखे: http://www.cbdalliance.org/top-10-for-cop-10/ to read briefings from COP 10

१९ यह डॉ.यस. फैजी के साथ इलेक्ट्रानिक संपर्क के दौरान दिये गये विचारों पर आधारित है।

चौथी राष्ट्रीय रिपोर्ट – हकीकत बनाम दिखावा!

देश में ऐसे विचारों वाला समूह है जो यह तर्क देता है कि जबकि भारत ने सीबीडी को स्वीकारा है, इसके बावजूद भारत सहभागिता व्यवस्था जो संसाधनों के टिकाऊ उपयोग एवं संरक्षण से जुड़ा है कि तुलना मे संरक्षण से जुड़े पारंपरिक तरीको से कार्य करने मेही कुशल है। उदाहरण के तौर पर सीबीडी की धारा ६(अ) एवं १०(सी) जो जैविकसंसाधनों के संरक्षण एवं टिकाऊ उपयोग के मुद्दे पर विचार करता है। सीबीडी से संबंधित भारत की चौथी राष्ट्रीय रिपोर्ट बताती है कि केवल नीतिगत स्तर पर महत्त्वपूर्ण प्रगति हुई है। राष्ट्रीय जैवविविधता रणनीति एवं कार्य योजना (एन.बी.एस.ए.पी.) २००३ एवं राष्ट्रीय जैवविविधता कार्ययोजना–२००८ ऐसी योजना है जिसमें ६(अ) के उद्देश्यों को जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम–२००३, जैवविविधता अधिनियम २००२ एवं वनाधिकार अधिनियम, २००६[२०] मे ऐसे कई प्रावधान है जो सहभागिता संरक्षण प्रक्रिया के साथ जुड़े है जो संरक्षण से जुड़े पारंपरिक तरीकों को कानूनी मान्यता देते है। हमारे सामने अच्छी भावनाओं को कार्य मे बदलने की चुनौती है।

चौथी रिपोर्ट का गहन अध्ययन करने के बाद यह स्पष्ट होता है कि किस तरह से अधूरे सच की भाषा से वास्तविक स्थिति को छिपाया गया है। रिपोर्ट बताती है कि २००२ तक संरक्षित क्षेत्र (पी.ए.) के नेटवर्क में लगभग १५ प्रतिशत की बृद्धि (इजाफा) हुआ है, परन्तु पी.ए. की स्थिति क्या है? एवं इन क्षेत्रों में रहनेवाले लोगो के साथ क्या हुआ? क्या अधिकारों का निपटारा संतोषजनक हुआ है? क्या लोगों को जोर जबरदस्ती किए बगैर नियम के अनुसार दूसरी जगह पुनर्वास किया गया? २००३ से अब तक ४३ संरक्षित क्षेत्र बनाये जा चुके है पर इनका प्रबंधन किसके द्वारा एवं कैसे होता है? एफ.आर.ए. के प्रावधानों के अनुसार किस हद तक स्थानीय समुदाय का संरक्षण एवं प्रबंधन[२१] के लिए सशक्तिकरण हुआ है? ये सभी महत्त्वपूर्ण सवाल है जिसके विस्तृत जवाब की जरुरत है। इससे संबंधित सभी तथ्यों की अस्पष्टता, टिकाऊ एवं भागीदारी वाले संरक्षण के उद्देश्यों बिना किसी परेशानी से बदल देने की संभावना को दर्शाता है। यह उस स्थिति को बताता है जहां कागजों पर भारत सम्मेलन की आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा मे कार्य कर रहा है जबकि वास्तविकता मे घरातल पर संरक्षण के पारंपरिक एवं खास तौर तरीकों पर एक नियत व्यवस्था है जो यह निर्धारित करता है कि वन एवं वनवासियों के लिये बोलने मे कौन काबिल है। भारत जैसे देशों में संरक्षण के तौर तरीकों को मजबूती के साथ परस्पर जोडा गया है इस कारण नये नियमों एवं कार्यक्रमों को बढावा देना चाहिएँ जो न केवल कानूनी तंत्र मे बदलाव के लिये बल्कि शासक वर्ग एवं नौकरशाहों के विचारों को बदलने मे भी उपयोगी हो।

सहयोग: पर्सिस तारापोरवाला, कल्पवृक्ष
ईमेल: persis.taraporevala@gmail.com

२० अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम, २००६ जिसे एफ आर ए, २००६ के नाम से भी जाना जाता है।

२१ दोनो अधिकार है जिसके लिये एफ.आर.ए. के तहत दावा किया जा सकता है।

३. कार्यशाला एवं सम्मेलन:

समुद्री एवं समुद्र तटीय जैवविविधता एवं आजीविकाओं पर बैठक

हैदराबाद में होने वाले सीबीडी की बैठक मे कॉप–११ मे भारत के गैर सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.), स्थानीय समुदायों के संगठन तथा अन्य संगठनों एवं लोगों के लिए अपने मुद्दों को रखने के लिये एक एनजीओ मंच का गठन किया गया। यह मंच (आइ.एन.एफ.सी) नेचुरल हिसट्री संगठन, डब्लू.डब्लू.एफ. (भारत), कल्पवृक्ष, ग्रीनपीस, आई.सी.यू.एन. एवं कुछ अन्य संगठनों ने मिलकर सीबीडी के लिये बनाया है।

आइ.एन.एफ.सी. के अनुरोध पर दक्षिण पाउंडेशन ने राष्ट्रीय मत्स्य (मछली) कामगार मंच तथा बीएनएचएस के साथ मिलकर १८ फरवरी २०१२ को चेन्नई में आई.सी.ए.एस. के सभागार मे एक बैठक की। इस बैठक मे गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ), मत्स्य कामगार संगठन तथा समुद्री एवं समुद्र तटीय जैवविविधता पर शोध करने वालो ने हिस्सा लिया। इस बैठक मे द्वीप जैवविविधता एवं मत्स्य क्षेत्र को कॉप–११ मे विचार करने हेतु एवं संबंधित लोगों की भागीदारी के विषय पर चर्चा की गयी।

राष्ट्रीय मत्स्य कामगार मंच (एन.एफ.एफ.) जो नेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, भारत एवं परंपरागत कुशल मत्स्य कामगारों का राष्ट्रीय संघ है तथा १९७३ से मछुआरों के अधिकारों के लिये एक अभियान चला रहा है उसने राष्ट्रीय समुद्र तटीय संरक्षण अभियान (एन.सी.पी.सी.) के गठन मे महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एनसीपीसी कई पर्यावरणीय संगठनों एवं मछली कामगारों का संगठन है जो भारत की समुद्र तटीय सीमा की सुरक्षा कि दिशा मे काम करता है। दक्षिण फाउंडेशन समेत कई संस्थाओं ने इस बैठक मे हिस्सा लिया जो एन.सी.पी.सी. का सदस्य होने के साथ समुद्री संरक्षण, मत्स्य कानूनों एवं इनका पारंपरिक मछुआरों के समुदायों पर प्रभाव, तटीय विकास तथा प्रबंधन के मुद्दों पर कार्य करती है।

इस तरह सीबीडी के कॉप–११ आयोजन में समुद्री एवं समुद्रतटीय जैवविविधता के एक मुख्य विषय के रुप मे शामिल होने एवं इस संगठन मे शामिल होकर इससे जुड़े मुद्दों को उठाने का अच्छा अवसर है। प्रमुख मुद्दे जो चर्चा में शामिल किये गये उनमे प्रमुख रुप से जैवतकनीक द्वारा मछलियों का विकास, बंदरगाहों से जुड़े प्रभाव, तटीय विकास से जुड़े बिजली प्लांट एवं अन्य निर्माण शामिल थे। बैठक की समाप्ति इस कार्य योजना के साथ हुई कि बैठक मे भाग लेने वाले समुद्र एवं समुद्र तटीय जैवविविधता कार्य समूह के रुप में कार्य करेगे जो बैठक मे तय किये मुद्दों से जुड़े कार्यों को अमल मे लायेगे ताकि कॉप–११ के आयोजन के दौरान इन मुद्दों को उठाया जा सके।

सहयोग: मारियने मैनुऐल (ईमेल: marianne.manuel88@gmail.com) रिसर्च असोसिएट, दक्षिण फाउंडेशन
पता: फ्लैट नं.–८, द्वारकामाई रेसीडेंसी, # २२७८, २४ क्रास सहकारनगर, सी ब्लॉक, बैगलूरु ५६००९२
वेबसाइट: www.dakshin.org

आजीविका की चुनौती के रूप में समुद्रीय संरक्षित क्षेत्र (एम.पी.ए.)

समुद्री संरक्षित क्षेत्र के गठन के कारण मछुआरा समुदाय आजीविका की कमी से जूझ रहे है। जहां इनके प्रवेश एवं संसाधनों के संग्रह करने पर प्रतिबंध है। मार्च २०१२ में इन मुद्दों पर विचार करने के लिये दिल्ली में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का आयोजन हैदराबाद में होनेवाले जैवविविधता सम्मेलन (सीबीडी) के भागीदार देशों के ग्यारहवे सम्मेलन (कॉप–११) को भी ध्यान में रखते हुए किया गया।

पांच एमपीए के मछुआरा समुदायों के प्रतिनिधियों– सुन्दरवन टाइगर रिजर्व, (प.बंगाल), गहिरा माथा (समुद्री) वन्यजीव अभयारण्य (ओडिसा), मन्नार की खाडी (समुद्री) राष्ट्रीय उद्यान, बयोस्फेयर रिजर्व तमिलनाडु तथा वन्यजीव अभयारण्य (गुजरात) ने सम्मेलन मे अपने क्षेत्र से जुड़े तथ्यों को बताया। इस सम्मेलन मे संबंधित केन्द्रीय मंत्रालय के अधिकारियों एवं लोक सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया। समस्याएँ जो लोगों के सामने रखी गयी उनमे मछली पकडने के क्षेत्र की उपलब्धता सिमित कर देने के कारण आजीविका की समस्या के साथ मछुआरों के एम.पी.ए. मे प्रवेश पर गिरफ्तारी की समस्या भी शामिल थी। मछुआरों को प्रबंधन से बाहर रखा गया है एवं स्वशासन के सामुदायिक पहल के लिये न तो कोई सहयोग है और न हि इसे मान्यता दी गयी है। संबंधित अधिकारियों एवं मछुआरों के बीच संवाद का न होना यह बतलाता है कि मछुआरों की चिंताओ की कोई सुनवाई नहीं है।

इन तमाम समस्याओं को एम.पी.ए. के प्रशासन से जुड़े कानूनी ढाँचे के साथ जोड़ने के लिये, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम (डब्लू. एल.पी.ए.)–१९७२, जैवविविधता अधिनियम (बीडीए) २००२ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (ई.पी.ए.–१९८६), समुद्रतटीय नियंत्रण क्षेत्र (सी.आर.जे.) अधिसूचना १९९१, राज्य समुद्री मत्सियकी नियंत्रण अधिनियम, सीमांतर्गत जल क्षेत्र, महादेशीय क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र एवं भारत अन्य समुद्री प्रक्षेत्रों के अधिनियमों के विश्लेषण द्वारा समुद्री संसाधनों के टिकाऊ उपयोग के साथ मछुआरों के अधिकारों को कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है को समझा गया। डब्लू.एल.पी.ए. के तहत् मछली पकडने एवं समुद्री क्षेत्र मे निर्दोष प्रवेश का अधिकार, बीडीए के तहत् जैवविविधता घरोहर क्षेत्र की स्थापना, ई.पी.ए. के तहत पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र (ई.एस.ए.) तथा सी.आर.जेड के तहत असुरक्षित तटीय क्षेत्र से जुड़े प्रावधानों पर इस बैठक में विचार किया गया।

राष्ट्रीय मत्स्य कामगार संघ (एन.एफ.एफ.) के बैनर तले मछुआरा समुदायों की कुछ महत्त्वपूर्ण मांगे रखी गयी। उन मांगो में–

१ डब्लू.एल.पी.ए. १९७२ के तहत बनाए गये समुद्री एवं तटीय राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य में मछली पकड़ने के अधिकारों की पुनर्स्थापना।

२ समुद्री एवं समुद्र तटीय क्षेत्र में मछुआरा समुदायों के समुद्रीय एवं तटीय प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकारों को स्वीकारना तथा एफ.आर.ए. के तर्ज पर इन संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंधन का अधिकार सुनिश्चित करना।

३ वर्तमान डब्लू.एल.पी.ए. के तहत भविष्य में किसी भी समुद्री एवं समुद्रतटीय पी.ए. का निर्माण इसके उद्देश्यों के लिये इसकी अनुउपयुक्तता को देखते हुए नही किया जाए तथा किसी बेहतर कानूनी व्यवस्था पर विचार किया जाए।

४ डब्लू.एल.पी.ए. के तहत मछुआरों के व्यवसायिक हितों के संरक्षण तथा पी.ए. में निर्दोष आवाजाही के अधिकार से जुड़े प्रावधानों को अमल में लाने के लिये प्रभावी दिशा–निर्देशों को तैयार करना। अधिकारों को तब तक सुनिश्चित करना जब तक कि मछली पकडने के अधिकारों को स्वीकार एवं सुनिश्चित नही किया जाता।

५ यह भी विचार किया जाना चाहिए कि समुद्री एवं समुद्रतटीय पी.ए. संरक्षित क्षेत्र किस सीमा तक सीबीडी के तहत निर्धारित संरक्षित क्षेत्र पर कार्य योजना के अनुकूल रह सकता है। प्रशासन मे भागेदारी के प्रावधानों पर कॉप–११ के पहले पुनर्विचार।

६ समुद्री एवं समुद्री तटीय जैवविविधता संरक्षण के लिये परामर्श की प्रक्रिया द्वारा एक एकीकृत समग्र रुपरेखा को निर्धारित करना चाहिए जो कि विशेष रुप से बंदरगाहों, बिजली प्लांटों, तेल एवं गैस को निकालने एवं पर्यटन से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को नियंत्रित कर सके।

सहयोग: सुमन नारायण (ईमेल: icsf@icsf.net) प्रोग्राम असोसिएट, मत्स्य कामगारों के सहयोग के लिये अंतर्राष्ट्रीय समूह (आइ.सी.एस.एफ.)

पता: २७ कॉलेज रोड, चेन्नई ६००००६

वेबसाइट: www.icsf.net, www.icsf.org

मोटे अनाजों पर सम्मेलन एवं महत्त्वपूर्ण घोषणा–

पूर्वी भारत के ओडीसा, छत्तीसगढ और झारखंड राज्यों के मोटे अनाजों का उत्पादन करने वाले किसानों का दो दिवसीय सम्मेलन(१४–१५ दिसंबर, २०११) ओडीसा कृषि तकनीकि विश्वविद्यालय के रमैया सभागार में आयोजित किया गया था। यह सम्मेलन किसानों द्वारा मोटे अनाजों एवं कृषि के समर्थन मे महत्त्वपूर्ण घोषणा के साथ संपन्न हुआ।

सम्मेलन के पैनल में कृषि से जुड़े कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों, एन.जी.ओ. एवं शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों के अलावा प्रतिनिधियों की उपस्थिति थी। पैनल में शामिल लोगों ने मोटे अनाजों से जुड़ी विभिन्न संभावनाओं पर विचार–विमर्श करते हुए उन तरीकों एवं साधनों की पहचान पर जोर दिया गया जिसके तहत मोटे अनाजों पर आधारित परंपरागत मिश्रित कृषि पद्धति को उन राज्यों में भी बढावा देने पर जोर दिया गया जहां इसकी खेती कम मात्रा मे होती है। पैनल ने पूर्वीभारत में जमीन के उपयोग मे बदलाव, इन राज्यों में मोटे अनाजों की खेती की जमीन के उपयोग मे बदलाव, इन राज्यों मे मोटे अनाजों की खेती की जमीन को कैसे बढाया जाए एवं वैकल्पिक जनवितरण प्रणाली पर चर्चा की गयी। इस सम्मेलन में विशेषकर मोटे अनाजों एवं समान्यत: पारंपरिक मिश्रित खेती व्यवस्था, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से गरीब एवं अधिकारहीन लोगो को बचाने की भूमिका पर भी विचार किया गया।

इस बात पर आम सहमति बनी कि मोटे अनाजों को बढावा देने के लिये सरकारी एवं गैरसरकारी प्रयासों की आवश्यकता है ताकि

इन खाद्य फसलों पर निर्भर परिवारों का भविष्य सुरक्षित एवं मजबूत हो सके। कृषि वैज्ञानिक डॉ. ए.के.पाधी ने अपने एक विश्लेषण में इस बात का संकेत दिया कि पिछले कुछ दशकों में मोटे अनाजों की खेती के लिये उपयोग मे आनेवाली भूमि में कमी आयी है। उनके अनुसार वर्तमान दशक में ज्यादा हुई है। नकदी फसलों जैसे मक्का एवं कपास की खेती को बढावा देने को सराहा गया है। ऐसा किसानों एवं जन समाज द्वारा समान ढंग से अनुभव किया जा रहा है जिसे बदलने की जरुरत है। इस सम्मेलन में एक महत्त्वपूर्ण मांग सामने आयी कि मोटे अनाजों को जनवितरण प्रणाली मे शामिल करने के साथ इसे सरकार द्वारा संचालित अन्य खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों मे शामिल किया जाये। ऐसा अनुभव किया गया कि केवल विकेन्द्रीकृत पी.डी.एस. सही मायनों मे गरीबों एवं अधिकारहीन लोगों के लिये खाद्य संप्रभुता लायेगी।

मोटे अनाज (चावल, गेहूँ की तुलना में) ज्यादा कठोर फसल है जिसमें जलवायु परिवर्तन का प्रभाव नही के बराबर होता है। इसे आसानी से कमजोर मिट्टी एवं कम पानी की स्थिति में भी उपजाया जा सकता है। खासकर पूर्वीभारत में बदलते मौसम के कारण भूमि विवाद ज्यादा देखने को मिलता है वहां के लिये यह अत्यंत उपयुक्त है। बदलते भूमि उपयोग की स्थिति में जहां भूमि को उद्योंगों एवं औद्योगिक फसलों के लिए उपयोग मे लाया गया है वहां यह स्थिति पारंपरिक खेती व्यवस्था एवं आजीविका के लिये घातक साबित हुई है। जैवविविधता के लिये यह आवश्यक है कि जिस भूमि पर फसलों को उगाया जाता है उस भूमि को उद्योगों के लिये न दिया जाये।

ईस संम्मेलन मे जारी किया गया भुवनेश्वर घोषणा–पत्र किसानों द्वारा किए गए कुछ विश्लेषण एवं विचारों को बताता है। इसके द्वारा यह मांग की गई कि सरकार मोटे अनाजों को जन वितरण प्रणाली तथा अन्य जन खाद्य व्यवस्था जैसे मध्याहन भोजन (दोपहर का भोजन) आदि में शामिल करे। इसके अलावा घोषणा पत्र में स्थानीय स्तर पर खाद्य अनाजों के सरकारी खरीद एवं वितरण की व्यवस्था की भी बात कही गई। इस घोषणापत्र के तहत कृषि में जैवविविधता के महत्त्व पर जोर दिया गया तथा सरकार से अपील की गयी कि इस प्रकार की फसलों की खेती करने वालों को मान्यता दे क्योंकि यह दलित एवं आदिवासी समुदायों के जीवन एवं आजीविका से सीधा जुड़ा है।

सम्मेलन में उपस्थित किसानों ने विकास के लिये भूमि के स्थान्तरण एवं स्थानीय अनाजों की प्रजातियों के जर्म प्लाजमा (अंकुरित प्लाजमा) को लोगों के बीच किसानों के लिये आसानी से उपलब्धता के खिलाफ कठोर रुख दिखाया। उन्होने मांग की कि किसानों को जैवविविधता का लाभ, पोषकता का लाभ, जलवायु परिवर्तन का लाभ दिया जाए। इस घोषणापत्र पर उडीसा के १८ जिलों, छत्तीसगढ एवं झारखंड से आए किसानों ने अपनी सहमति जताई और जिसका समर्थन महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा किया गया।

इस घोषणा–पत्र को निम्नलिखित स्रोत से प्राप्त किया जा सकता है।

सहयोग: प्रशांत मोहंती निदेशक, निर्माण

पता: एस–३/७५१, निलाद्रि विहार, पो. शैलश्री विहार, भुवनेश्वर–७५१०२१.

वेबसाइट: www.nirmanodisha.org

४. विषय अध्ययन

गोगेलों घेराव क्षेत्र: एक संरक्षित क्षेत्र जिसके कई पहलू

राजस्थान में हाल हि में गोगेलो संरक्षण आरक्षित क्षेत्र की घोषणा इसे संरक्षण विज्ञान की मुख्यधारा मे लाने के लिये की गयी। यह राजस्थान का ५ वां संरक्षण आरक्षित क्षेत्र है जो कई मायनों मे अनोखा है। यह आरक्षित क्षेत्र गागेलों गांव का हिस्सा है।

यह संरक्षित (रिजर्व) क्षेत्र नागोर शहर के पश्चिमी भाग में स्थित है। जिसे गोगेलो घेर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है जो नागोर–बिकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग सं.–८९ पर आवासीय बस्ती से २ किमी. की दूरी पर स्थित है। यह घेराव (घेर क्षेत्र) कई प्रजातियों के पेड़–पौधों एवं जानवरों का आश्रय का स्थान है। स्वतंत्रता से पूर्व इस पर व्यक्तिगत मालिकाना था लेकिन १९६२ में समीप के गांवों के पशुओं के चारागाह के रुप में खासतौर पर विकसित करने के लिये वन विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया। इस क्षेत्र के मालिक नागोर शहर के सेठ बल्लम रामदेवजी पिति थे जिन्होने इस क्षेत्र को वन विभाग को सौपा था। वर्तमान मे रामदेव जी का पूरा परिवार जापान मे बसा है। यह क्षेत्र वर्षा के मामले में बेहद अनिश्चितता का होने के साथ लगातार आकाल का शिकार होता रहा है। इस परिस्थिति ने भी रामदेवजी को अपना यह क्षेत्र गौचर (चारागाह) के रुप में विकसित करने (वैसा जमीन जिसका सामूहिक रुप से पशुओं के चारागाह के रुप में उपयोग होता है) के लिये दान में देने के लिये प्रेरित किया। बाद में इस क्षेत्र को वैज्ञानिक ढ़ंग से व्यवस्थित करते हुए टिकाऊ विकास के लिये वन विभाग को दे दिया गया।

इसका कुल क्षेत्र ७०० हैक्टर से अधिक है और इसे तीन चरणों में चारागाह के रुप में राज्य वन विभाग ने विकसित किया। वन विभाग इस क्षेत्र का प्रबंधन १९६२ से करता आ रहा है। यह क्षेत्र बडे पैमाने पर पेड़–पौधों एवं जानवरों के स्थानीय प्रजातियों जो जैवविविधता से जुड़ी है, उनके लिये आश्रय का स्थान है।

इस क्षेत्र में झाडियां, आंशिक बंजर क्षेत्र की झाडियां, जेरोफाइट (एक तरह का पौधा जो नमी रहित क्षेत्र में पैदा होता है) एवं सूखें क्षेत्र की वनस्पतियां मिलती है। इसके अलावा इस क्षेत्र में आंशिक बंजर झाडियां और रेगिस्तानी झाडियों से युक्त घास क्षेत्र भी शामिल है जो प्रोसोपिस सिनेशरिआ (हिगोटा), केप्पेरिस डेसिडुआ (केर), अकेशिया टॉरटोलिस (बर्नी) एवं अकेशिया निलोटिका (बबूल) के पेडों से युक्त है। लेकिन इस क्षेत्र में प्रोसोपिस जुलिफ्लोरा (कीकर) का फैलाव छोटे–छोटे समूह में हो रहा है जो कि एक खतरे का संकेत है। यह क्षेत्र २००२ तक, २५० सेमी अधिक भारतीय गज़ेल्ला अथवा चिंकारा का भी घर था। इस क्षेत्र में सर्वाधिक चिंकारा के झुंड लगभग ४८ चिंकारा/ वर्ग किमी. के साथ कुल ५१ झुंड है। यह क्षेत्र रीढ़वाले एवं बिना रीढ़वाले दोनो ही तरह के जीवों की शरणस्थली है। इस क्षेत्र मे पाये जाने वाले अन्य महत्त्वपूर्ण स्तनधारियों में, रेगिस्तानी बिल्ली, रेगिस्तानी खरगोश, भारतीय लोमडी, जंगली बिल्ली, नीलगाय, लंबे कान वाले साही, भूरा नेवला, काले बालों वाले खरगोश, भारतीय रेगिस्तानी गेरबिल आदि शामिल है।

वर्तमान मे यह क्षेत्र हर तरफ से अत्यधिक दबाव में है इसके उत्तरी सीमा से लगा हुआ चारलेन का राष्ट्रीय राजमार्ग गुजराता है। नागोर शहर का विकास भी इस क्षेत्र का अतिक्रमण कर रहा है। इसके पश्चिमी भाग में दो बड़ी–बड़ी कॉलोनियां बनकर तैयार है। रिक्कों (राज्य सरकार का औद्योगिक क्लस्टर) भी इस संरक्षित क्षेत्र के उत्तर मे कार्य कर रहा है। हाल के दिनों में कुछ बुद्धिहीन बिल्डरों ने इस क्षेत्र के एक भाग को अवासीय कॉम्पलेक्श बनाने के लिये हडपने का प्रयास किया।

इस तरह, इस क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र का दर्जा देना एक महत्त्वपूर्ण कदम है क्योंकि यह क्षेत्र अभी भी कई विलुप्तप्राय वन्यजीवों की प्रजातियों का आश्रय स्थल है। यह आशा है कि इस क्षेत्र की अनुचित लाभो से सुरक्षा की जायेगी।

सहयोग: डॉ. सुमित डोकिया (ईमेल: sumitdookia@gmail.com), सहायक प्रध्यापक पर्यावरण प्रबंधन विद्यालय, जीजीएस इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय.

पता: सेक्टर–१६ सी, द्वारका, नई दिल्ली–११००७५

बिलिगिरी रंगास्वामी मंदिर अभयारण्य में समुदायिक वनाधिकारों की स्थिति

वन अधिकार अधिनियम–२००६ के तहत् कर्नाटक के बिलिगिरी रंगास्वामी मंदिर अभयारण्य (बी.आर.टी.) वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र में रहने वाली सोलिगा आदिवासी समुदाय से संबंधित २५ ग्रामसभाओं को २ अक्टूबर, २०११ को समुदायिक वन अधिकार दिये गये। यह अधिकार वनाधिकार कानून (एफ.आर.ए.), २००६ के तहत दिये गये थे।

एफ.आर.ए. का महत्त्व

वर्ष २००२ में डब्लू.एल.पी.ए. में हुए संशोधन के द्वारा २००६ में प्रभावी हुए एन.टी.एफ.पी. के संग्रह पर प्रतिबंध लगने के परिणाम स्वरुप सोलिगा आदिवासी समुदाय के बीच एफ.आर.ए. को लेकर बेहद रुचि थी। प्रतिबंध लगने के पहले सोलिगा समुदाय अपनी आमदनी का ६० फीसदी हिस्सा (वृहद स्तरीय बहुद्देशीय आदिवासी समाज) एन.टी.एफ.पी. संग्रह से आता था। प्रतिबंध के चलते बडे पैमाने पर बेरोजगारी फैली तथा इन आदिवासियों को दैनिक मजदूरी के रुप में काम की तलाश में पलायन को मजबूर होना पड़ा। जब एफ.आर.ए. की अधिसूचना जारी की गयी उसके बाद तीन जिलों (येलेंदुर, कोल्लेगल तथा कामराजनगर) के सोलिगाओं ने एन.टी.एफ.पी. संग्रह के लिये सी.एफ.आर. तथा अन्य समुदायिक अधिकार के लिए २००८ में आवेदन करने का निर्णय किया। २ अक्टूबर, २०११ में सी.एफ.आर. अधिकार पाने के बाद इन २५ ग्रामसभाओं के सोलिगा समुदाय के लोग प्रतिबंध लगाए जाने के बाद पहली बार किसी प्रकार के आर्थिक दंड के भय से मुक्त होकर शैवाल (लाइकन) एवं अन्य एन.टी.एफ.पी. उत्पाद के संग्रह करने मे समर्थ हुए जिसके संग्रह पर २००६ में प्रतिबंध लगा था।

अधिकार के लिए दावे की प्रक्रियां

जेड.बी.जी.ए.एस. (बदाकट्टु जिला गिरिजन अभिव्रुद्धि संघ, एक समुदाय आधारित स्थानीय संगठन) के सहयोग से ग्रामसभा की बैठक आयोजित की गई एवं एफ.आर.ए. के तहत दावा करने की प्रक्रिया की शुरुआत की गयी। बैठक में भाग लेने वालो ने एन.टी.एफ.पी. एवं उसके संग्रह करने के स्थान, शाक–सब्जी, कंदमूल, फल, मशरुम आदि रोजमर्रा के उपयोग में आनेवाली चीजों को सूचिबद्ध किया तथा भौगोलिक पहलुओं जैसे प्रयोग में लाए गए जलक्षेत्र का नाम, धार्मिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण स्थानों एवं पालतू जानवरों व उनसे जुड़े चारागाहों से संबंधित जानकारियों को एकत्र किया था। दावा करने के साथ सोलिगा समुदाय के लोगों ने वन विभाग की भागीदारी के साथ जंगलों के संरक्षण एवं प्रबंधन का प्रस्ताव रखा।

सी.एफ.आर. अधिकार पाना

समुदायिक अधिकार के दावे के लिए पूरी तरह भरे गए आवेदन (फार्म) को २५ ग्रामसभाओं द्वारा २००८ में एस.डी.एल.सी. को भेजा गया। एस.डी.एल.सी. की बैठक में वन विभाग ने सोलिगा समुदाय को अधिकार दिए जाने का विरोध किया। इस दावें की प्रक्रिया को पूरा होने में तीन सालों के प्रयासों एवं बैठकों के बाद एस.डी.एल.सी. द्वारा दांवे को मंजूरी दी गयी। इसके बाद प्रकरण डी.एल.सी. के पास मंजूरी के लिये गया जहां जिले के वन विभाग ने इसका विरोध किया। जिला कमिश्नर के साथ सक्रिय रुप से काम करने के बाद २५ ग्रामसभाओं को जो ३५ पोडुस या छोटे–छोटे आवासीय क्षेत्रों से मिलकर बने है उन्हे सी.एफ.आर. दिया गया। व्यक्तिगत वनाधिकार (अधिकृत भूमि) १५१६ परिवारों को दिया गया। बी.आर.टी. के अधीन पड़ने वाले ५ में से ३ वन क्षेत्रों (येलेंदुर, के.गुडी, पंजूर) में सी.एफ.आर. का अधिकार २५ ग्रामसभाओं को मिला। सोलिगा जनजाति को जो अधिकार दिए गए है उनमें लघु वनोपज एवं वनउत्पाद जैसे जलक्षेत्रों से मछली पकडना, मौसमी संसाधनों पर अधिकार एवं चारागाह क्षेत्र का उपयोग, सुरक्षा का अधिकार, किसी भी सामुदायिक वन संसाधनों के टिकाऊ उपयोग के लिए पुर्नउत्पादन या संरक्षण या प्रबंधन, जैवविविधता तक पहुंच एवं जैवविविधता एवं सांस्कृतिक विविधता से जुड़ा बौद्धिक संपदा एवं पारंपरिक ज्ञान पर सामुदायिक अधिकार, ४८९ क्षेत्रों मे जाने, उनके उपयोग एवं पूजा का अधिकार शामिल है।

सी.एफ.आर. की मंजूरी की बाद की स्थिति

सी.एफ.आर. अधिकार दिए जाने के तत्काल बाद सोलिगा जनजाति के साथ क्षेत्रीय वन संरक्षक ने कन्नेरी कालोनी में एक बैठक की, जहां उन्होने दावा किया कि अधिकार के दावें की प्रक्रिया असंगत थी इसलिए सोलिगा जनजाति के लोगों को अपने क्षेत्र का फिर से नक्शा तैयार करना होगा। उनका तर्क था कि वर्तमान नक्शें के अनुसार विभिन्न ग्रामसभाओं को दिये गए सी.एफ.आर. क्षेत्र एक दूसरे के क्षेत्र मे आते है जिसे हर हाल में ठीक करना होगा। वर्षों से सेलिगा एन.टी.एफ.पी. वन उत्पादों का संग्रह अपने पोडुस से काफी दूर जाकर भी करती है जो कि अभयारण्य क्षेत्र में आता है (अभयारण्य को पांच

भागों में बांटा गया है)। इस कारण उन्होने पूरे वन क्षेत्र पर सी.एफ.आर. का दावां किया था। सी.एफ.आर. को पोडु तक सीमित करना न तो प्रबंधन की दृष्टि से और न हि संसाधनों के संग्रह के लिये उपयुक्त है। अधिकार मिलने के बाद की स्थिति अस्पष्ट है क्योकि वन विभाग का सी.एफ.आर. को लेकर अपना एक अलग पक्ष है। बी.आर.टी. में जुलाई २०१२ मे सहयोगपूर्ण प्रबंधन से जुड़ी विस्तृत योजना तैयार करने के लिये एक कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें २०० के करीब सोलिगा जनजाति के लोगों ने भाग लिया और वन प्रशासन, संरक्षण एवं व्यवस्था को लेकर बैठक मे शामिल लोगो एवं संगठनों ने आपस में विचारों का आदान प्रदान किया।

आगे का रास्ता

२४ जनवरी, २०११ को बी.आर.टी. को व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र की घोषणा से यह भय फैला है कि वन विभाग की सुरक्षा एवं नियंत्रण के चलते समुदाय द्वारा कठिन प्रयासों से प्राप्त अधिकारों पर रोक लगेगी। डब्लू.एल.पी.ए. के प्रावधानों के तहत संवेदनशील व्याघ्र आवासों को किसी भी हस्तक्षेप से मुक्त रखा जायेगा। जिसको अमल मे लाने के लिये सी.टी.एच. क्षेत्र में पडने वाले गांवों को डब्लू.एल.पी.ए. की धारा ३८(१)५ के तहत् स्वेच्छा से पुर्नस्थापित किया जायेगा। जो पोडु अधिसूचित एवं निर्धारित क्षेत्र में स्थित है और एफ.आर.ए. के तहत व्यक्तिगत एवं समुदायिक अधिकार ले चुके है यदि ऐसी जगहों पर प्रशासन सी.टी.एच. के अंदर पुर्नस्थापन के प्रयास शुरु करता है तो यह संभव है कि उसे सोलिगाओं के विरोध का सामना करना पडेगा।

सहयोग: शीबा देसोर (ईमेल: desor.shiba@gmail.com), कल्पवृक्ष, नितिन राय (ईमेल: nitinrai@atree.org); एवं सी. मडेगौडा (ईमेल: cmade@atree.org), अशोका परिस्थितिकी एवं पर्यावरण शोध ट्रस्ट, बैंगलोर.

पता: कल्पवृक्ष, अपार्टमेंट–५, श्री दत्त कृपा, ९०८, डेक्कन जिमखाना, पुणे–४११००४, महाराष्ट्र; एट्री, रॉयल इनक्लेव, श्रीरामपुरा जकूर, बैंगलोर–५६००६४, कर्नाटका

वेबसाइट: www.kalpavriksh.org, www.atree.org

पाठकों के लिए संदेश:

प्रिय पाठकों, यदि आप समुदाय व संरक्षण की प्रति किसी अलग पते पर प्राप्त करना चाहते है तो कृपया हमें अपना पता kvoutreach@gmail.com पर या नीचे लिखे पते पर भेजे दें।

कल्पवृक्ष,
डाक्यूमेन्टैशन एवं आऊटरीच सेंटर (प्रलेखन एवं पहुंच केन्द्र)
अपार्टमेंट ५, श्री दत्त कृपा, ९०८, डेक्कन जिमखाना, पुणे–४११००४, महाराष्ट्र (भारत)
वेबसाइट: www.kalpavriksh.org
समुदाय व संरक्षण : जैवविविधता संरक्षण एवं जीविका सुरक्षा
अंक ४, नं. २, जून २०१२
संपादक : मिलिन्द वाणी, पर्सिस तारापोरवाला
परामर्श एवं संपादकीय सहयोग : नीमा पाठक
संपादकीय सहायता : अनुराधा अर्जुनवाड़कर, शर्मिला देव, पंकज सेखसरिया, सीमा भट
हिन्दी अनुवाद : अनुराधा अर्जुनवाड़कर, विकल समदरिया
फोटो : प्रशांत मोहन्ती, सुमन नारायणा
अन्य फोटो : http://en.wikipedia.org/wiki/India_desert_jird, http://en.wikipedia.org/wiki/Chinkara
प्रकाशक : कल्पवृक्ष, अपार्टमेंट ५, श्री दत्त कृपा, ९०८, डेक्कन जिमखाना, पुणे–४११००४
फोन : ९१–२०–२५६७५४५० फोन/फॅक्स : ९१–२०–२५६५४२३९
ईमेल : kvoutreach@gmail.com वेबसाइट: www.kalpavriksh.org
आर्थिक सहयोग : मिजेरिओर

निजी वितरण के लिये

प्रकाशित विषयवस्तु (Printed matter)

सेवा में,